"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2018—माघ 13, शक 1939

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, भा.प्र.से. (2012), उप सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उप सचिव, श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक ई-1-3/2018/1/2.—बिहार सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. 1/सी.-1024/2014-सा.प्र.-80, दिनांक 02-01-2018 द्वारा श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से. (BH:2001) (छत्तीसगढ़ राज्य में अंत: संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर) को दिनांक 01-01-2018 से अधिसमय वेतनमान (PB-4, 37400-67000, GP-10000/-) (पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स लेवल-14) में पदोन्नत किया गया है.

2. एतद्द्वारा श्री मयंक वरवड़े, भा.प्र.से. (BH:2001) को अधिसमय वेतनमान (PB-4, 37400-67000, GP-10000/-) (पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स लेवल-14) का लाभ दिनांक 01-01-2018 से देय होगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक ई-1-1-2018/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री डी. राहुल वेंकट, भा.प्र.से. (2015), सहायक कलेक्टर, कांकेर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् अनुविभागीय अधिकारी, बीजापुर के पद पर पदस्थ करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बीजापुर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपता है.

2. श्री अभिषेक कुमार सिंह, भा.व.से. (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, बीजापुर की सेवायें वन विभाग को वापस लौटायी जाती है.

नया रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक ई-1-1-2018/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय सिंह, भा.प्र.से. (CG:1983) अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग तथा कृषि उत्पादन आयुक्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त् मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक ई 1-01/2018/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुनील कुमार कुजूर, भा.प्र.से. (1986), अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय सिंह, मुख्य सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 जनवरी 2018

क्रमांक ई 1-02/2018/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री विवेक ढाँड, भा.प्र.से. (सी.जी.-1981) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10-01-2018 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवा निवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16 (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 11-01-2018 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक बी-1-6/2017/4/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा निम्नलिखित तहसीलदारों/अधीक्षक, भू-अभिलेख/आयुक्त तथा कलेक्टर कार्यालय के अधीक्षकों को राज्य प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान में डिप्टी कलेक्टर के पद पर (पे बैण्ड रुपये 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400) वेतन मैट्रिक्स लेवल 12 में पदोन्नत करते हुए, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक नीचे दर्शित तालिका में उनके नाम के सामने कॉलम (4) में दर्शाये अनुसार पदस्थ करता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री अशोक कुमार मार्बल	तहसीलदार, रायगढ़	डिप्टी कलेक्टर, जिला-रायगढ़
2.	श्री आर. आर. चुरेन्द्र	अधीक्षक, जिला कार्यालय, दुर्ग	डिप्टी कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव
3.	श्री डी. एस. ध्रुव	अधीक्षक, जिला कार्यालय, महासमुंद	डिप्टी कलेक्टर, जिला-महासमुंद
4.	श्री छबीलाल ओटी	अधीक्षक, भू-अभिलेख, बस्तर	डिप्टी कलेक्टर, जिला-कांकेर

2. उपरोक्त पदोन्नतियां दो वर्ष की स्थानापन्नता अवधि के लिए होगी.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/निर्देशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. ठाकुर, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक ई 7-08/2016/एक-2.—सुश्री जिनेविवा किण्डो, भा.प्र.से. (2004), सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर को दिनांक 26-12-2017 से दिनांक 30-12-2017 तक (कुल 05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 24, 25 एवं 31 दिसम्बर, 2017 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री जिनेविवा किण्डो आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री जिनेविवा किण्डो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री जिनेविवा किण्डो अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरजलाल, अवर सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्रमांक ई 7-20/2017/एक-2.—श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला, भा.प्र.से. (2011), उप सचिव, वाणिज्यिक कर (आब.) विभाग तथा संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व को दिनांक 29-12-2017 से दिनांक 06-01-2018 तक (कुल 09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 07 जनवरी, 2018 के राजपत्रित अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला आगामी आदेश तक उप सचिव, वाणिज्यिक कर (आब.) विभाग तथा संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-5/2016/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल अंतर्गत असंगठित कर्मकारों के लिये संचालित मुख्यमंत्री ई-रिक्शा सहायता योजना के संबंध में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20-12-2016 के बिन्दु (ब) योजना की पात्रता के उपबिन्दु (IV) आरटीओ से व्यावसायिक वाहन चालक के संबंध में स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र आवश्यक को विलोपित करता है.

नया रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-2/2013/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 10-2/2013/16, दिनांक 04-03-2013 को अधिक्रमित करते हुए, असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना का नाम "मुख्यमंत्री असंगठित कर्मकार इज्जत मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना" होगा.

2. योजना के अंतर्गत रेलगाड़ियों में 150 कि.मी. तक दैनिक यात्रा करने के लिये पंजीकृत असंगठित कर्मकारों को इज्जत कार्ड मंडल द्वारा रेल्वे के सहयोग से प्रदाय किया जावेगा.

3. यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु असंगठित कर्मकारों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा.

2. यदि हितग्राही राज्य शासन के किसी अन्य समानांतर योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**हितग्राहियों को किसी भी च्वाईस सेंटर, कम्प्यूटर सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जाकर वेबसाईट में दिये निर्देशानुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—** योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा.

(इ) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल को निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 3-1/2017/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1882 की धारा 33(2)(ठ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 11 (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मंडल के पंजीकृत अभिदायदाता कर्मचारियों के लिए निम्नानुसार योजना बनायी जाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना" होगा.

(ii) पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना के तहत चावड़ी/औद्योगिक क्षेत्रों में यूनिट के पास संस्थानों में कार्यरत पंजीकृत अभिदायदाता कर्मचारी को गरम भोजन वितरित किया जावेगा.

(iii) **गरम भोजन से तात्पर्य—** श्रम विभाग छ.ग. शासन के आदेश क्रमांक एफ-3-1/2017/16 दिनांक 01-08-2017 में स्वीकृत टेण्डर में वर्णित शर्तों के आधार पर भोजन दिया जावेगा.

(ब) **योजना का विस्तार :—** छ.ग. प्रदेश के विभिन्न जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में समय-समय पर संचालक मंडल द्वारा चिन्हांकित स्थानों पर योजना का विस्तार किया जायेगा.

(स) **प्रक्रिया :—**

(i) (अ) "पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना" के यूनिट संचालन हेतु श्रम विभाग छ.ग. शासन द्वारा भोजन बनाने एवं वितरण अथवा यूनिट संचालन के कार्य का टेण्डर एक साथ किया जावेगा.

(ब) प्रत्येक यूनिट हेतु निःशुल्क स्थल एवं छ.ग. श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा.

(स) बिजली, पानी जैसे नियमित होने वाले व्यय संबंधित संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा.

(द) टेण्डर में उल्लेखित शर्तों का पालन करना टेण्डर प्राप्त करने वाले संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा.

(ii) कर्मचारियों को यूनिट में अथवा कर्मचारियों के कार्य स्थल पर भोजन खिलाया जावेगा, यदि कोई कर्मचारी चाहे तो अपने टिफिन में भोजन लेकर जा सकता है.

(द) **पात्रता :—**

(i) छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थानों में नियोजित अभिदायदाता श्रमिकों एवं उनके परिवारजनों को लाभ की पात्रता होगी.

(ii) यदि कोई संस्थान/उनमें नियोजित श्रमिक निधि के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हुआ है, उन्हें तो भी वह कर्मचारी पात्र होंगे परन्तु उन्हें भी श्रम कल्याण निधि के अंतर्गत पंजीयन करवाना आवश्यक होगा.

(इ) **व्यय :—** योजना से संबंधित यूनिट में यदि छ.ग. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के अलावा असंगठित श्रमिक एवं निर्माणी श्रमिक भोजन ग्रहण करते है तो उनका भुगतान संबंधित मंडल द्वारा देय होगा. श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के लिए भुगतान छ.ग. श्रम कल्याण मंडल द्वारा किया जावेगा.

(फ) **शुल्क :—**

(i) "पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना" के तहत् रुपये 5/- के कूपन/रसीद में भोजन श्रम विभाग द्वारा स्वीकृत टेण्डर आदेश में वर्णित मात्रा द्वारा किया जावेगा.

(ii) प्रति श्रमिक शुल्क काउंटर से रुपये 5/- जमा कर कूपन प्राप्त करेंगे, जिसे भोजन काउंटर पर जमा करने पर भोजन देय होगा.

(य) **योजना का संचालन/पर्यवेक्षण :—**

(1) ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना'' का संचालन श्रम विभाग द्वारा अधिकृत संस्थान द्वारा किया जावेगा एवं जिला श्रम कार्यालय का यह दायित्व होगा, कि उनके जिले में चल रहे ''पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न सहायता योजना'' यूनिट में हितग्राहियों की निगरानी करेंगे.

(2) श्रम विभाग/छ.ग. श्रम कल्याण मंडल के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी अथवा विभिन्न मंडल के अध्यक्ष अथवा विभाग द्वारा गठित निगरानी समिति इन यूनिट की जांच करेगी.

(3) **योजना की गुणवत्ता :—**भारत शासन द्वारा अधिकृत संस्थान, श्रम विभाग अथवा छ.ग. श्रम कल्याण मण्डल द्वारा नामित व्यक्ति/संस्था द्वारा ही भोजन की गुणवत्ता का परीक्षण किया जावेगा.

(र) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में कल्याण आयुक्त, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-5/2016/16.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित ई- रिक्शा सहायता योजना बाबत् अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2016/16, दिनांक 20-12-2016 की कंडिका (ब) (i) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है :—

(ब) **योजना की पात्रता :—**

''(i) असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक/आटो चालक अथवा पंजीकृत श्रमिकों के पंजीकृत समूह.''

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

ऊर्जा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2017

क्रमांक एफ 10-3/2015/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षकालय, छ.ग. के वर्तमान पद संरचना का युक्तियुक्तकरण करते हुए वर्तमान पद संरचना के स्वीकृत 301 पद में से 17 पदों को समर्पित करते हुए 284 पदों की संशोधित पद संरचना संलग्न परिशिष्ट-''क'' अनुसार स्वीकृति प्रदान करता है.

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. कम्प्यूटर क्रमांक एफ-2017-13-00243 दिनांक 11-04-2017 द्वारा दी गई सहमति अनुसार जारी की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

परिशिष्ट–'क'

मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के अधीन कार्यालयों का कार्यालयवार सेटअप

क.	पदनाम एवं वेतनमान	पूर्व के स्वीकृत पद	नवीन स्वीकृत पद	मुख्यालय	क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर नवीन	संभाग रायपुर				संभाग बिलासपुर			संभाग राजनांदगांव		संभाग दुर्ग		संभाग रायगढ़			संभाग अंबिकापुर			संभाग जगदलपुर			कुल पद	समर्पण
						संभाग रायपुर	उप संभाग रायपुर	उप संभाग बलौदाबाजार (रायपुर उपसंभाग क्र.–02 स्थानांतरित)	उप संभाग धमतरी	संभाग बिलासपुर	उप संभाग बिलासपुर	उप संभाग कोरबा	संभाग राजनांदगांव	उप संभाग राजनांदगांव	संभाग दुर्ग नवीन	उप संभाग दुर्ग	संभाग रायगढ़	उप संभाग रायगढ़	उप संभाग जांजगीर चांपा नवीन	संभाग अंबिकापुर नवीन	उप संभाग अंबिकापुर	उप संभाग कोरिया नवीन	संभाग जगदलपुर	उप संभाग जगदलपुर	उप संभाग कांकेर नवीन		
1	मुख्य अभियंता (वि0सु0) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक 37400–67000, ग्रेड पे. 8700	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	अधीक्षण अभियंता(विसु0) एवं उप मुख्य विद्युत निरीक्षक 15600–39100, ग्रेड पे. 7600	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
3	कार्यपालन अभियंता (विसु) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक 15600–39100, ग्रेड पे. 6600	7	4	2	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	10	1
4	मुख्य विद्युत शुल्क अधिकारी 15600–39100, ग्रेड पे. 6600	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	सहायक अभियंता (विसु) एवं सहायक विद्युत निरीक्षक 15600–39100, ग्रेड पे. 5400	16	11	2	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	22	5
6	लेखाधिकारी 15600–39100, ग्रेड पे. 5400	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
7	आडिट आफिसर 15600–39100, ग्रेड पे. 5400	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8	मुख्य विद्युत लेखा परीक्षक 9300–34800, ग्रेड पे. 4400	6	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0

मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के अधीन कार्यालयों का कार्यालयवार सेटअप

क्र.	पदनाम एवं वेतनमान	पूर्व के स्वीकृत पद	नवीन स्वीकृत पद	मुख्यालय	वृत्तीय कार्यालय बिलासपुर नवीन	संभाग रायपुर				संभाग बिलासपुर			संभाग राजनांदगांव		संभाग दुर्ग		संभाग रायगढ़			संभाग अंबिकापुर			संभाग जगदलपुर			कुल पद	समर्पण
						संभाग रायपुर	उप संभाग रायपुर	उप संभाग बलौदाबाजार (रायपुर उपसंभाग क्र.–02 स्थानांतरित)	उप संभाग धमतरी	संभाग बिलासपुर	उप संभाग बिलासपुर	उप संभाग कोरबा	संभाग राजनांदगांव	उप संभाग राजनांदगांव	संभाग दुर्ग नवीन	उप संभाग दुर्ग	संभाग रायगढ़	उप संभाग रायगढ़	उप संभाग जांजगीर चांपा नवीन	संभाग अंबिकापुर नवीन	उप संभाग अंबिकापुर	उप संभाग कोरिया नवीन	संभाग जगदलपुर	उप संभाग जगदलपुर	उप संभाग कांकेर नवीन		
9	अधीक्षक 9300–34800, ग्रेड पे. 4300	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
10	सहायक अधीक्षक 9300–34800, ग्रेड पे. 4200	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
11	निज सहायक 9300–34800, ग्रेड पे. 4300	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
12	सहायक प्रोग्रामर 9300–34800, ग्रेड पे. 4200	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13	उपअभियंता 9300–34800, ग्रेड पे. 4200	28	0	0	0	0	3	4	3	0	2	1	0	4	0	5	0	1	1	0	1	1	0	1	1	28	0
14	विद्युत शुल्क परीक्षक 9300–34800, ग्रेड पे. 4200	7	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	7	3
15	सहायक ग्रेड–एक 5200–20200, ग्रेड पे. 2800	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	6	0
16	सहायक ग्रेड–दो 5200–20200, ग्रेड पे. 2400	21	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	21	0
17	डाटा एन्ट्री आपरेटर 5200–20200, ग्रेड पे. 2200	6	4	2	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	10	0
18	स्टेनो टायपिस्ट 5200–20200, ग्रेड पे. 1900	5	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
19	सहायक ग्रेड–तीन 5200–20200, ग्रेड पे. 1900	38	0	6	2	2	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	38	0

मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के अधीन कार्यालयों का कार्यालयवार सेटअप

क.	पदनाम एवं वेतनमान	पूर्व के स्वीकृत पद	नवीन स्वीकृत पद	मुख्यालय	तृतीय कार्यालय बिलासपुर नवीन	संभाग रायपुर				संभाग बिलासपुर			संभाग राजनांदगांव		संभाग दुर्ग		संभाग रायगढ़			संभाग अंबिकापुर			संभाग जगदलपुर			कुल पद	समर्पण
						संभाग रायपुर	उप संभाग रायपुर	उप संभाग बलौदाबाजार (रायपुर उपसंभाग क्र.–02 स्थानांतरित)	उप संभाग धमतरी	संभाग बिलासपुर	उप संभाग बिलासपुर	उप संभाग कोरबा	संभाग राजनांदगांव	उप संभाग राजनांदगांव	संभाग दुर्ग नवीन	उप संभाग दुर्ग	संभाग रायगढ़	उप संभाग रायगढ़	उप संभाग जांजगीर चांपा नवीन	संभाग अंबिकापुर नवीन	उप संभाग अंबिकापुर	उप संभाग कोरिया नवीन	संभाग जगदलपुर	उप संभाग जगदलपुर	उप संभाग कांकेर नवीन		
20	विद्युतकार 5200–20200, ग्रेड पे. 1900	16	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	16	0
21	जांच अनुचर 5200–20200, ग्रेड पे. 1800	15	0	2	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	15	0
22	दफ्तरी 4750–7440, ग्रेड पे. 1400	6	0	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
23	भृत्य 4750–7440, ग्रेड पे. 1300	16	12	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	28	0
24	भृत्य (नैमात्तिक व्यय से) 4750–7440, ग्रेड पे. 1300	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
25	वाहन चालक (नियमित) 5200–20200, ग्रेड पे. 1900	7	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	7	0
26	वाहन चालक (आकस्मिकता स्थापना में) (कलेक्टर दर पर)	9	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	9	0
27	चौकीदार (आकस्मिकता स्थापना में) 4750–7440, ग्रेड पे. 1300	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	3	0
28	चौकीदार पूर्णकालिक (कलेक्टर दर पर)	14	5	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	15	4
29	स्वीपर अंशकालिक (कलेक्टर दर पर)	14	8	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	18	4
30	फर्राश आकस्मिक स्थापना (कलेक्टर दर पर)	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
		247	54	40	18	18	11	14	12	16	8	9	13	14	10	15	16	9	7	11	8	7	13	8	7	284	17

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 24 जून 2017

क्रमांक एफ 1-27/2004/11/(6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (तृतीय श्रेणी) सेवा भर्ती नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करते है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

1. अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

अनुसूची-एक
[नियम 4 (1) और (5) देखिये]

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	निरीक्षक	07	तृतीय श्रेणी	9300-34800+ग्रे.वे.-4200
2.	सहायक अधीक्षक	01	—तदैव—	5200-20200+ग्रे.वे.-2800
3.	ऑडिटर	07	—तदैव—	5200-20200+ग्रे.वे.-2800
4.	स्टेनोग्राफर	01	—तदैव—	5200-20200+ग्रे.वे.-2800
5.	सहायक ग्रेड-2	06	—तदैव—	5200-20200+ग्रे.वे.-2400
6.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	01	—तदैव—	5200-20200+ग्रे.वे.-2400
7.	सहायक ग्रेड-3	07	—तदैव—	5200-20200+ग्रे.वे.-1900
8.	स्टेनो टाइपिस्ट	02	—तदैव—	5200-20200+ग्रे.वे.-1900
9.	वाहन चालक	01	—तदैव—	5200-20200+ग्रे.वे.-1900

2. अनुसूची-दो में, कॉलम (2) में "निरीक्षक" के सम्मुख कॉलम (3) एवं (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

विभाग का नाम	सेवा का नाम	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा नियम 6 (ग) देखिए
		सीधी भरती द्वारा नियम 6 देखिये	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम 6 (ख)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (फर्म्स एवं संस्थाएं).	निरीक्षक	50% (पचास प्रतिशत)	50% (पचास प्रतिशत)	-

3. अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक (4) एवं (5) तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

स.क्र.	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	निरीक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारक होना चाहिये. 2. नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.
5	ऑडिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला/विज्ञान/वाणिज्य में स्नातक उपाधि होना चाहिये. 2. नियुक्ति की तारीख से 2 वर्ष के भीतर लेखा प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिये."
6	वाहन चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	कक्षा 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा वैध एलएमव्ही ड्रायविंग लायसेंस तथा आंखों की दृष्टि 6/6 होनी चाहिये."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 24 जून 2017

क्रमांक एफ 1-27/2004/11/(6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24-06-2017 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 24 June 2017

No. F 1-27/2004/11/6.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Firms and Societies (Class-III) Services Recruitment Rules, 2006, namely;

AMENDMENT

In Schedule of the said rules;—

1. for Schedule-I The following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-1
[See rules 4 (1) and (5)]

S. No.	Name of the posts included in the services	Number of posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Inspector	07	Class-III	9300-34800+G.P.-4200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Assistant Superintended	01	Class-III	5200-20200+G.P.-2800
3.	Auditor	07	--do--	5200-20200+G.P.-2800
4.	Stenographer	01	--do--	5200-20200+G.P.-2800
5.	Assistant Grade-II	06	--do--	5200-20200+G.P.-2400
6.	Data Entry Operator	01	--do--	5200-20200+G.P.-2400
7.	Assistant Grade-III	07	--do--	5200-20200+G.P.-1900
8.	Steno Typist	02	--do--	5200-20200+G.P.-1900
9.	Driver	01	--do--	5200-20200+G.P.-1900

2. In Schedule-II, for entries in column (3) and (4), corresponding to "Inspector" in column (2), the following shall be substituted, namely :—

Name of Department	Name of Service	Percentage of the number of duty posts to be filled		By transfer of person from other service vide rule 6-(c)
		By direct recruitment vide Rule 6 (a)	By promotion of substantive member of the service vide Rules-6 (b)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Government of Chhattisgarh Commerce & Industries Department (Firms and Societies).	Inspector	50% (Fifty percent)	50% (Fifty percent)	—

3. In Schedule-III, for Serial number 4 and 5 entrie relating thereto, the following shall be substituted namely :—

S. No. (1)	Name of the post (2)	Minimum Age Limit (3)	Maximum Age Limit (4)	Prescribed educational qualifications (5)
4.	Inspector	18 years	35 years	1. Should possess a graduation degree from any recognized University. 2. Should have passed Accounts Examination within two years form the date of appointment.
5.	Auditor	18 years	35 years	1. Should have a graduation degree in Arts/Science/Commerce from, any recognized University. 2. Should have passed Accounting Training within 2 years form the date of appointment.
6.	Driver	18 years	35 years	Passed 8th class examination and a valid LMV driving license and must have eye sight of 6/6."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YASHVANT KUMAR, Joint Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 1-26/2004/11/(6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ फर्म्स एवं संस्थाएं (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में :—

1. अनुसूची-एक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनुसूची-एक"
(नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	कर्तव्य पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पंजीयक	1	प्रथम श्रेणी	रु. 15,600-39,100+ग्रेड वेतन रु. 7600	
2.	उप पंजीयक	1	—तदैव—	रु. 15,600-39,100+ग्रेड वेतन रु. 6600	
3.	सहायक पंजीयक	6	द्वितीय श्रेणी	रु. 15,600-39,100+ग्रेड वेतन रु. 5400	

2. अनुसूची-दो में, शीर्षक द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत, कॉलम क्र. (2) के सरल क्रमांक (1) एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	"सहायक पंजीयक	6	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	पदोन्नति सेटअप में अंकित है"

छत्तीगड़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 21 नवम्बर 2017

क्रमांक एफ 1-26/2004/11/(6).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (2) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 21-11-2017 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीगड़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यशवंत कुमार, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 21st November 2017

No. F 1-26/2004/11/6.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Firms and Societies (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2007, namely;

AMENDMENT

In Schedule of the said rules;—

1. for Schedule-I The following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-1
(See rules 5)

S. No.	Name of the post included in the service	Number of duty posts	Classi-fication	Scale of pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Registrar	1	Class-I	Rs. 15,600-39,100+Grade Pay Rs. 7600	
2.	Deputy Registrar	1	--do--	Rs. 15,600-39,100+Grade Pay Rs. 6600	
3.	Assistant Registrar	6	Class-II	Rs. 15,600-39,100+Grade Pay Rs. 5400	

2. In Schedule-II, Under Heading Class-II, for serial number (1) in column No. (2) and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	"Assistant Registrar	6	25 percent	75 percent	Promotion is mentioned in the set-up"

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YASHVANT KUMAR, Joint Secretary.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 जनवरी 2018

क्रमांक एफ 11-13/2017/मबावि/50.— राज्य शासन एतदद्वारा निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 5 वर्ष के लिए पंजीकृत करता है :—

क्र.	स्वैच्छिक संगठन का नाम	डाक का पूरा पता	जिले का नाम	बाल देखरेख संस्था की प्रकृति	स्वीकृत क्षमता		प्रावधिक पंजीयन क्रमांक
					बालक	बालिका	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	प्रतिज्ञा विकास संस्थान.	रत्नाबांधा धमतरी (छ.ग.)	धमतरी	बालगृह (बालक)	50	0	01/DMTR/16-17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.	संकल्प सांस्कृतिक समिति.	18, कैलाश रेसीडेन्सी, मीरादतार रोड, शंकर नगर.	रायपुर	खुला आश्रय गृह (बालक)	25	0	11/RPR/16-17
3.	सेवा भारती मातृ-छाया.	04 मैदान पथ, चौबे कालोनी, रायपुर.	रायपुर	दत्तक ग्रहण एजेन्सी	10		12/RPR/16-17
4.	बाल बाश्रम	कचहरी चौक, रायपुर	रायपुर	बालगृह (बालक)	100	0	13/RPR/16-17
5.	वसुन्धरा जन कल्याण समिति.	म.नं.-163, गणेश दादा गली, भट्टी रोड, केदारपुर, अम्बिकापुर.	सरगुजा	खुला आश्रय गृह (बालक)	25	0	03/SRG/16-17
6.	बिलासपुर सेवा भारती.	मातृछाया, शिशुगृह, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास, नवापारा, अंबिकापुर.	सरगुजा	दत्तक ग्रहण एजेन्सी	10		04/SRG/16-17
7.	सेवा भरती बिलासपुर.	बस्तर	बस्तर	दत्तक ग्रहण एजेंसी	10		06/BSTR/16-17
8.	उन्नायक सेवा समिति.	कौहाकुण्डा, पहाड़ मन्दिर के पास, रायगढ़.	रायगढ़	विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का बाल गृह (नई उम्मीद)	50	0	02/RIG/16-17
9.	उन्नायक सेवा समिति.	कौहाकुण्डा, पहाड़ मन्दिर के पास, रायगढ़.	रायगढ़	बाल गृह (बालक) (निलाचल)	50	0	03/RIG/16-17
10.	उन्नायक सेवा समिति.	उरांवपारा, पहाड़ मन्दिर के पास, पन्डरीपानी, रायगढ़.	रायगढ़	दत्तक ग्रहण एजेन्सी (मातृनिलयम)	10		04/RIG/16-17
11.	उन्नायक सेवा समिति.	उरांवपारा, पहाड़ मन्दिर के पास, पन्डरीपानी, रायगढ़ (छ.ग.).	रायगढ़	खुला आश्रयगृह (बालक) (आशियाना)	25	0	05/RIG/16-17
12.	प्रतिज्ञा विकास संस्थान.	मुक्तिधाम के सामने, गंगानगर, बुढ़ादेव मार्ग, अन्नपूर्णापारा, उत्तर बस्तर, कांकेर.	कांकेर	दत्तक ग्रहण एजेन्सी	10		02/KNKR/16-17
13.	मदरसा अशरफिया यतिम खाना.	सांई मंदिर के सामने, सिविल लाईन, दुर्ग.	दुर्ग	बालगृह (बालक)	50		07/DURG/16-17
14.	बिलासपुर सेवा भारती.	नवजीवन स्कूल के सामने, धनोरा रोड, बोरसी, दुर्ग.	दुर्ग	दत्तक ग्रहण एजेन्सी	10		06/DURG/16-17

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15.	बिलासपुर सेवा भारती.	मातृछाया माॅ तुलजा भवानी मंदिर के पास, कुदुदण्ड, बिलासपुर.	बिलासपुर	दत्तक ग्रहण एजेन्सी	20		01/BSP/16-17
16.	माॅ डिन्डेश्वरी शिक्षा समिति.	ओवरब्रीज के पास, आकाष मार्ग, शुभम विहार, उस्लापुर, बिलासपुर.	बिलासपुर	बालगृह (बालक)	50	0	04/BSP/16-17
17.	अवर होम ट्रस्ट (सी.एल.एच. आई.बी.).	अमचूर फैक्ट्री के पीछे, ग्राम-घुरु, बिलासपुर.	बिलासपुर	बालगृह (बालिका)	0	25	05/BSP/16-17

1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पांच वर्षो के लिए वैध होगा.

2. संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो.

3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 तथा बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा.

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गीता, सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2018

क्रमांक 45/F-06-01001128/स्था./चार.—श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर तत्कालीन वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, दुर्ग को उनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 39/2011 धारा 7, 13 (1) डी, 13 (2) पी.सी. एक्ट, 1988 के अंतर्गत माननीय विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण (अधिनियम) दुर्ग में दिनांक 08-01-2014 को चालान प्रस्तुत होने के कारण विभागीय आदेश क्रमांक 240/1045/2011/स्था./चार, दिनांक 17-02-2014 के द्वारा निलम्बित किया गया था.

श्री लक्ष्मण सिंह ठाकुर का प्रकरण, माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहते हुए दिनांक 12-08-2016 को मृत्यु हो गयी. अत: मुलभूत नियम, 54 (बी) (2) के प्रावधानानुसार राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ठाकुर का निलम्बन अवधि, दिनांक 17-02-2014 से 12-08-2016 के बीच की अवधि को समस्त प्रयोजनों हेतु कर्तव्य पर व्यतीत की गई अवधि मान्य किया जाता है.

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक 66/एफ 2013-04-00036/स्था./चार.—राज्य शासन एतद्द्वारा अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे 4300 से छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा संवर्ग वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे 5400 में पदोन्नति, दिनांक 26-09-

2013 से मान्य करते हुए कार्य नहीं वेतन नहीं के सिद्धांत के आधार पर वास्तविक रूप से वित्तीय लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रदान करते हुए नीचे तालिका में उनके नाम के सम्मुख वरिष्ठता का निर्धारण कर तालिका के स्तंभ क्र. 4 में दर्शित पद पर अस्थाई रूप से पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	वरिष्ठता का निर्धारण (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री दीपक कुमार पाण्डेय, सहायक लेखाधिकारी, नागरिक आपूर्ति निगम, रायपुर	श्री देवेन्द्र चौबे के नीचे एवं श्री राजीव कुमार झाड़े के ऊपर निर्धारित की जाती है.	लेखाधिकारी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना, रायपुर.
2.	सुश्री अनिभा रेणु टोप्पो, सहायक कोषालय अधिकारी, राजनांदगांव.	श्री राघवेन्द्र कुमार के नीचे एवं श्री दुर्योधन महानंद के ऊपर निर्धारित की जाती है.	सहायक संचालक (वित्त), संचालनालय, संस्थागत वित्त, नया रायपुर.

2. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शारदा वर्मा, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

महासमुंद, दिनांक 23 दिसम्बर 2017

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक 908/भू-अर्जन/2017.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
महासमुंद	सरायपाली	कलेण्डा	2.75	सिंगबहाल जलाशय योजना से 14 ग्रामों की 147 हे. खरीफ सिंचाई के लिए शाखा नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन प्रकरण ग्राम-कलेण्डा.

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 08-01-2018 को (समय) 11.00 बजे (स्थान) कलेण्डा पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण — 14 ग्रामों के 1478 हे. रकबे में खरीफ सिंचाई की जा सकेगी.

(दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — 43 परिवार

(तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या — निरंक

(चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. — निरंक

(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	3668.25 लाख
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	14 ग्रामों के 1478 हे. रकबे में खरीफ सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी.
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय किये जा रहे है.
(ग्यारह)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हिमशिखर गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 24 जनवरी 2018

प्रारूप-एक
(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	तमनार	जरेकेला	0.456	लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जनसुनवाई दिनांक 28 फरवरी, 2018 को दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन जरेकेला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जरेकेला-नवापारा के पुलिया निर्माण कराया जावेगा.
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक

(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	73 वृक्ष
(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	34,33,853-00 (जरेकेला-नवापारा पुल निर्माण)
(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000-00 रुपये)
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटकांक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

रायगढ़, दिनांक 24 जनवरी 2018

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2016-17.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल हे. में (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
रायगढ़	तमनार	नवापारा	0.387	लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया निर्माण

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 28 फरवरी, 2018 को दोपहर 2.00 बजे से 4.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन जरेकेला पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(1)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	जरेकेला-नवापारा के पुलिया निर्माण कराया जावेगा
(2)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	10
(3)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(4)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	66 वृक्ष

(5)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(6)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(7)	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	—	हां
(8)	परियोजना की कुल लागत	—	15,00,277-00 (जरेकेला-नवापारा पुल निर्माण)
(9)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	जन सुविधा के लिये आवागमन सुविधा
(10)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	(मूल्य लगभग 50,000-00 रुपये)
(11)	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटकांक	—	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20120/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	बिलाईगढ़ प.ह.नं. 40	8.170	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग रायगढ़.	कलमा बैरॉज निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20228/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-बिरहाभांठा, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.080 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	2/9	0.012
	2/6	0.012
	2/15	0.004
	2/7	0.004
	2/8	0.024
	30/3	0.012
	30/4	0.012
योग	7	0.080

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20230/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-भैंसामुहान, प.ह.नं. 39
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.621 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
386/2	0.032
386/4	0.032
386/3	0.032
386/5	0.032
386/1	0.138
387/1	0.251
388/1	0.077
388/2	0.069
391	0.085
392/2	0.032
392/5	0.032
394/3	0.057
394/1	0.061
394/6	0.028
394/2	0.028
394/4	0.045
397/1	0.069
398/1	0.036
398/2	0.036
399/1	0.089
400/2	0.057
400/1	0.053
402/1	0.028
402/2	0.028
403	0.045

	(1)	(2)
	404	0.036
	405	0.101
	406/1	0.049
	406/2	0.049
	407	0.121
	408/1	0.065
	408/2	0.020
	408/3	0.036
	408/4	0.040
	415/1	0.142
	415/2	0.053
	417/2	0.308
	425/1	0.093
योग	38	2.585

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20232/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-पलसदा, प.ह.नं. 40
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.933 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15/2	0.053
15/1	0.049
128/1	0.045
128/4	0.045
128/5	0.032
129	0.069
130/1	0.020
130/3	0.024
130/2	0.024
131/1	0.073
131/2	0.036
131/3	0.036
132/3	0.012
132/2	0.012
132/1	0.040
133/1	0.036
133/4	0.012
133/5	0.012
133/2	0.012
133/7	0.024
133/6	0.024
133/8	0.038
133/9	0.038
224/2	0.004
224/3	0.012
224/4	0.008
224/1	0.028
215	0.016
214/1 क	0.008
214/1 ख	0.008
214/2 क	0.004
214/2 ख	0.024
214/2 ग	0.004
214/2 घ	0.004
214/3 क	0.028
214/3 ख	0.028
214/4	0.016
213	0.036
212	0.032
211/1	0.028
211/2	0.028
210/1	0.008
151	0.008
154	0.036
155	0.008

(1)	(2)
156/1	0.020
137/1	0.081
137/2	0.085
138/2	0.004
139	0.004
141/1	0.012
141/2	0.024
142/1	0.045
142/2	0.016
142/3	0.016
147	0.028
148	0.040
149	0.040
150	0.020
235/1	0.008
229/2	0.008
229/1	0.008
230/1	0.016
230/2	0.016
227/2	0.028
227/1	0.032
226/1	0.008
226/2	0.008
225	0.032
156/2	0.020
157	0.028
158	0.081
159	0.093
161/1	0.101
161/2	0.049
161/3	0.053
162	0.166
163	0.101
173/2 क	0.004
173/2 ख	0.032
173/2 ग	0.040
173/1 क	0.121
173/1 ख	0.012
172/2	0.036
174/2	0.020
174/3	0.162
179	0.049
193	0.008
194/1	0.008
194/2	0.004
194/3	0.004
योग 91	2.933

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20234/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-कांशीडीह, प.ह.नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.052 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
300	0.004
302	0.008
303	0.012
408	0.008
410/1	0.012
410/2	0.008
योग 6	0.052

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2017

क्रमांक/20236/अ-82/2016-17.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-जांजगीर-चांपा
   (ख) तहसील-डभरा
   (ग) नगर/ग्राम-कलमा, प.ह.नं. 41
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.894 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	185/1	0.121
	186	0.162
	187	0.109
	188	0.117
	189	0.385
योग	5	0.894

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलमा बैराज निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 जनवरी 2018

क्रमांक 23/1475/2017/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 495/1976/2012/स्था./चार, नया रायपुर, दिनांक 25-04-2015 द्वारा जारी राज्य वित्त सेवा संवर्ग के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को अधिक्रमित करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार राज्य वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित करता है.

शारदा वर्मा,
संचालक, बजट.

छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा परिवीक्षाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम

स. क्र.	विभाग	प्रशिक्षण की विषय वस्तु एवं प्रशिक्षण अवधि
(1)	(2)	(3)
1.	छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा	आधार-भूत प्रशिक्षण (04 सप्ताह)
2.	संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर.	1. संचालनालय का प्रशासनिक ढांचा 2. संचालनालय में किये जाने वाले कार्य 3. अधीनस्थ कार्यालयों की गतिविधियां 4. सी.पी.एस./पी.एफ.एम.एस. 5. पेंशन 6. ऑडिट (02 सप्ताह)

(1)	(2)	(3)
3.	संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन	पेंशन वेतन निर्धारण कोषालय निरीक्षण (02 सप्ताह)
4.	जिला कलेक्ट्रेट	जिला कार्यालय की कार्य प्रणाली का अध्ययन (01 सप्ताह)
5.	महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर	1. महालेखाकार कार्यालय का सामान्य प्रशासनिक ढांचा 2. लेखा संकलन प्रक्रिया का अध्ययन 3. निर्माण लेखा वन लेखा 4. विभिन्न शाखाओं में संपादित कार्यों एवं कोषालय से संबंधित संव्यवहारों का अध्ययन. (04 सप्ताह)
6.	वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर	1. वित्त विभाग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यों का अध्ययन 2. शासन स्तर पर बजट बनाने की प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन 3. अन्य विभागों एवं वित्त विभागों के आपसी संबंध (02 सप्ताह)
7.	आयुक्त सह संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा, रायपुर	1. संचालनालय का ढांचा 2. संचालनालय के कार्यों का अध्ययन 3. स्थानीय निकायों की लेखा संपरीक्षा का अध्ययन (01 सप्ताह)
8.	पंजीयक सहकारी समितियाँ	कार्यालय की कार्य प्रणाली का अध्ययन (01 सप्ताह)
9.	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नागपुर महाराष्ट्र	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कार्य प्रणाली का अध्ययन (01 सप्ताह)
10.	विकास आयुक्त छ.ग. रायपुर	1. राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं का जिला पंचायत/विकास खण्ड/ग्राम स्तर पर अध्ययन/क्रियान्वयन. 2. उक्त विकास कार्यों में वित्तीय प्रबंधन प्रक्रिया का अध्ययन 3. विकास आयुक्त कार्यालय की गतिविधियों का अध्ययन 4. विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लेखा कार्य की पद्धति का अध्ययन 5. विभाग में चल रही विकास योजनाओं एवं उसके क्रियान्वयन का अध्ययन. (02 सप्ताह)
11.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ.ग.	1. वन विभाग के कार्य का अध्ययन 2. वन विभाग में लेखा कार्यों की पद्धति का अध्ययन (01 सप्ताह)
12.	प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, छ.ग.	लोक निर्माण विभाग के कार्यों का अध्ययन (01 सप्ताह)

(1)	(2)	(3)
13.	आयुक्त वाणिज्यिक कर	वाणिज्यिक कर कार्यालय की कार्य प्रणाली का अध्ययन (01 सप्ताह)
14.	स्कूल शिक्षा विभाग	1. माध्यमिक शिक्षा मंडल की कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण 2. सर्वशिक्षा अभियान के संबंध में प्रशिक्षण 3. पाठ्य पुस्तक निगम का अध्ययन 4. लोक शिक्षण संचालनालय की योजनाओं एवं कार्य प्रणाली का अध्ययन. (स्कूल शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली Budgeting and Funding पैटर्न का अध्ययन एवं लेखांकन प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करना) (02 सप्ताह)
15.	उप कोषालय	उप कोषालय में संपादित किये जाने वाले सभी कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना. (01 सप्ताह)
16.	जिला कोषालय	जिला कोषालय में संपादित किये जाने वाले सभी कार्यों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना. (02 सप्ताह)
17.	लोक लेखा यूनिट विधान सभा छ.ग.	लोक लेखा संबंधित कार्य (01 सप्ताह)
18.	जिला पंचायत	जिला पंचायत के सभी कार्यों का प्रशिक्षण (01 सप्ताह)
19.	वाणिज्यि एवं उद्योग तथा छ.ग. उद्योग विकास प्राधिकरण.	वाणिज्य एवं उद्योग तथा छ.ग. उद्योग विकास प्राधिकरण के सभी कार्यों का प्रशिक्षण. (01 सप्ताह)
20.	संचालक, पंचायत नया रायपुर एवं संचालक, समाज कल्याण विभाग, नया रायपुर.	संचालक, पंचायत एवं संचालक, समाज कल्याण विभाग के सभी कार्यों का प्रशिक्षण. (01 सप्ताह)
21.	जिला कोषालय में अतिरिक्त प्रभार	अतिरिक्त कोषालय अधिकारी के रूप में प्रभार (22 सप्ताह)

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर
रजिस्ट्रार कार्यालय शासकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय चिकित्सालय भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 जनवरी 2018

क्रमांक-01/बोर्ड निर्वाचन/2017/56-58.—छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (अनुकूलन आदेश 2001) के अधीन छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 (अनुकूलन आदेश 2001) के तहत की तृतीय बोर्ड का गठन करने हेतु निर्वाचन कराया जाना है. उक्त निर्वाचन में राजस्व आयुक्त संभागवार निर्वाचक नामवली, निर्वाचन कार्यक्रम तथा उम्मीदवारों के नाम आदि का प्रकाशन समय-समय पर छत्तीसगढ़ राजपत्र में किया जाना प्रावधानित है. सुलभ संदर्भ हेतु नियम 1973 की छायाप्रति संलग्न है. ज्ञातव्य है कि उक्त निर्वाचन में इस कार्यालय के रजिस्ट्रार ही निर्वाचन पदाधिकारी होता है, इसलिए इस कार्यालय द्वारा ही निर्वाचन का संचालन किया जावेगा. निकट भविष्य में नियमानुसार निर्वाचन संबंधित विषय छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कराया जावेगा. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. पतंजलि दीवान,
रजिस्ट्रार.

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5 सन् 1971) की धारा 42 उपधारा 1

छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय डी के एस भवन की अधिसूचना क्रमांक 1576/468/2001/चि शि-रायपुर, दिनांक 28 मार्च, 2001 द्वारा (दिनांक 01 नवम्बर, 2000 से) सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर प्रवृत्त:—

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973

क्रमांक एफ 10-2-73-4-सत्रह.—छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम , 1970 (क्रमांक 5, सन् 1971), की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियम, जिन्हें उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, बनाता है, अर्थात :—

नियम

अध्याय एक-प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम :—** ये नियम छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी नियम, 1973 कहलायेंगे.

2. **परिभाषा :—** इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
   (क) "अधिनियम" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 (क्रमांक 5, सन् 1971) से है;

   (ख) "निर्वाचन पदाधिकारी" से तात्पर्य अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार से है;

   (ग) "प्रारूप" से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्रारूप से है;

   (घ) "संचालक" से तात्पर्य छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा संचालक से है;

   (ङ) अधिनियम में प्रयुक्त उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जिन्हें कि इन नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो कि उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है;

अध्याय दो-बोर्ड के लिए निर्वाचन

3. **अध्यक्ष का निर्वाचन :—**

(1) अधिनियम की धारा 4 के अधीन सदस्यों का नाम निर्देशन तथा निर्वाचन पूरा हो जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, संचालक, अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु तारीख, स्थान तथा समय निश्चित करेगा और तदुपरांत निर्वाचन पदाधिकारी समस्त सदस्यों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा उपस्थित होने तथा अध्यक्ष का निर्वाचन करने हेतु तदनुसार सूचना जारी करेगा.

(2) अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु सम्मिलन की अध्यक्षता संचालक करेंगे.

(3) इस प्रकार नियत तारीख को 12 बजे मध्यान्ह पूर्व किसी भी समय कोई सदस्य निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारी को एक ऐसा नाम निर्देशन पत्र परिदत्त करते हुए जिस पर कि उसके द्वारा प्रस्तावक के रूप में तथा किसी तीसरे सदस्य द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षर किए गए हों और जिसमें नाम निर्दिष्ट व्यक्ति का नाम कथित करते हुए तथा यह कथित करते हुए कि प्रस्तावक ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि ऐसा व्यक्ति यदि उसका निर्वाचन हुआ, तो अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के लिए रजामंद है किसी अन्य सदस्य का नाम निर्देशन कर सकेगा.

(4) निर्वाचन के लिए नियत तारीख को संचालक, सदस्यों को नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नाम, उनके प्रस्तावकों तथा समर्थकों के नामों के साथ पढ़कर सुनायेगा और यदि केवल एक ही सदस्य इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किया गया हो, तो उस सदस्य को अध्यक्ष के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित कर देगा और यदि एक से अधिक सदस्य इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किये गये हों, तो सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन मतपत्र द्वारा करने हेतु अग्रसर होंगे.

(5) जहां दो से अधिक सदस्य नाम निर्दिष्ट किये गये हों वहां प्रथम मतदान में यदि किसी भी सदस्य को अन्य उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किये गये कुल मतों से अधिक मत प्राप्त न हों, तो उस सदस्य को जिसने कम से कम मत प्राप्त किया हो, निर्वाचन से अपवर्जित करते हुए मतदान चालू रहेगा उन उम्मीदवारों को जिन्हें प्रत्येक मतदान में मतों की कम संख्या प्राप्त हो, निर्वाचन से तब तक अपवर्जित किया जावेगा जब तक कि किसी एक उम्मीदवार को अन्य शेष उम्मीदवारों की कुल मत संख्या से अधिक मत प्राप्त न हो जाय और यथास्थिति ऐसे किसी उम्मीदवार को जिसने अन्य उम्मीदवारों से अधिक मत प्राप्त किए हों या जिसने शेष उम्मीदवारों के कुल मतों से अधिक मत प्राप्त किये हों, अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित घोषित किया जायेगा.

(6) जहां किसी मतदान में दो या अधिक उम्मीदवार को एक समान मतों की संख्या अधिप्राप्त हो और किसी एक को उपनियम (5) के अधीन निर्वाचन से अपवर्जित किया जाना हो तो अवधारणा पर्ची डालकर किया जायेगा.

4. **उपाध्यक्ष का निर्वाचन :—** उपाध्यक्ष का निर्वाचन, अध्यक्ष द्वारा नियत किये दिनांक को किया जायेगा और नियम 3 में विहित प्रक्रिया यथोचित परिवर्तनों सहित उपाध्यक्ष के निर्वाचन को भी लागू होगी.

5. **निर्वाचक नामावलियों की तैयारी —**

(1) अधिनियम की धारा 4 के प्रयोजन के लिये निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक राजस्व आयुक्त संभाग के लिए प्ररूप एक में निर्वाचक नामावली तैयार करेगा जिसमें संभाग में निवास या व्यवसाय करने वाले समस्त रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के नाम अन्तर्विष्ट होंगे, इस प्रकार तैयार की गई निर्वाचक नामावली निर्वाचन से कम से कम दो मास पूर्व एक ऐसी सूचना के साथ छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी जिसमें यह कथन किया गया हो कि उक्त निर्वाचक नामावली में की प्रविष्टियों या उसमें की किसी त्रुटि से संबंधित कोई आपत्ति निर्वाचन पदाधिकारी को उसके कार्यालय में सूचना में विनिर्दिष्ट किये गये दिनांक को या उसके पूर्व की जा सकेगी.

(2) किसी ऐसी चिकित्सा व्यवसायी के मामले में, जो छत्तीसगढ़ में निवास न कर रहा हो, उसका नाम उस राजस्व आयुक्त संभाग की निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट किया जायेगा जिसमें कि वह मूलत: व्यवसाय कर रहा था.

(3) किसी भी चिकित्सा व्यवसायी का नाम एक से अधिक राजस्व आयुक्त संभाग की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं किया जावेगा.

6. **आपत्तियों की सुनवाई :—** उक्त दिनांक को या उसके पश्चात् इस प्रकार से प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जायगा और निर्वाचक नामावलियों को अधिनियम के अधीन बनाये रखे गये वैद्य, हकीम तथा प्रकृतिक चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर के आधार पर पुनरीक्षित किया जायेगा और अंतिम निर्वाचक नामावलियों को अध्यक्ष इस निमित्त नियत किये गये दिनांक को या उसके पश्चात् "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशित करायगा तत्पश्चात् इन निर्वाचक नामावलियों को अंतिम तथा निश्चायक समझा जावेगा.

7. **नाम निर्देशन :—**

(1) कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जिसका नाम किसी राजस्व आयुक्त के संभाग की निर्वाचक नामावली में हो और जो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अनर्हित न हुआ हो, राजस्व आयुक्त संभाग के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जा सकेगा.

(2) ऐसा नाम निर्देशन प्ररूप दो में नाम निर्देशन पत्र द्वारा किया जायगा जिसका प्रदाय किसी निर्वाचक को, जो उसके लिये आवेदन करें, निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा.

(3) प्रत्येक नाम निर्देशन-पत्र दो निर्वाचकों द्वारा एक प्रस्तावक के रूप में तथा दूसरा समर्थक के रूप में हस्ताक्षरित किया जायगा परन्तु कोई भी निर्वाचक एक से अधिक नाम निर्देशन-पत्र को हस्ताक्षरित नहीं करेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि एक ही निर्वाचक द्वारा एक से अधिक नाम निर्देशन-पत्र हस्ताक्षरित किये गये हों तो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रथम प्राप्त किया गया नाम निर्देशन-पत्र, यदि अन्यथा यह नियमानुकूल हो, तो विधिमान्य माना जावेगा और यदि एक ही निर्वाचक द्वारा हस्ताक्षरित किये गये एक से अधिक नाम निर्देशन-पत्र निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा एक साथ ही प्राप्त किये जाये तो ऐसे समस्त नाम निर्देशन-पत्र अवधिमान्य ठहराये जायेंगे.

(4) नाम निर्देशन-पत्र प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी उस पर तुरन्त प्राप्ति का दिनांक तथा समय पृष्ठांकित करेगा.

8. **निक्षेप—**

(1) किसी नाम निर्देशन-पत्र के परिदान के समय नाम निर्देशन-पत्र के साथ बोर्ड के पक्ष में भेजे गये 50.00 रुपये (रुपये पचास) की पोस्ट आफिस मनीऑर्डर रसीद संलग्न की जायगी और जब तक नाम निर्देशन-पत्र के साथ ऐसी रसीद संलग्न न हो, तक तक किसी उम्मीदवार को सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट किया गया नहीं समझा जायगा.

(2) यदि कोई उम्मीदवार, जिसने या जिसकी ओर से निक्षेप किया गया हो इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट रीति तथा समय के पूर्व उम्मीदवारी वापिस लेवे या यदि ऐसे उम्मीदवार का नाम-निर्देशन अस्वीकृत कर दिया जाय, तो निक्षेप उस व्यक्ति को लौटा दिया जायगा जिसने कि उसे जमा किया हो और यदि किसी उम्मीदवार की निर्वाचन प्रारंभ होने के पूर्व मृत्यु हो जाय, तो ऐसा निक्षेप यदि उसने जमा किया हो, उसके विधि प्रतिनिधि को लौटा दिया जायगा या यदि उम्मीदवार द्वारा वह जमा न किया गया हो, तो उस व्यक्ति को लौटा दिया जायगा जिसके कि द्वारा जमा कराया गया था.

(3) यदि किसी उम्मीदवार का, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से उपनियम (1) में, निर्दिष्ट निक्षेप किया गया हो निर्वाचन नहीं होता है और उसके द्वारा प्राप्त किये गये मतों की संख्या दिये गये मतों की कुल संख्या के 1/8 (एक अष्टामंश) से अनाधिक हो, तो निक्षेप बोर्ड को समपहत हो जायगा.

(4) उपनियम (3) के प्रयोजन के लिए, दिये गये मतों की संख्या वह संख्या समझी जाएगी जो रद्द किये गये मतों को छोड़कर गणना किये गये मतों की संख्या हो.

(5) किसी ऐसे उम्मीदवार के संबंध में किया गया निक्षेप चाहे, वह निर्वाचन हुआ हो या न हो यदि उपनियम (3) के अधीन समपहत न किया गया हो, तो राजपत्र में निर्वाचन परिणामों के प्रकाशन के पश्चात यथाशक्य शीघ्र यथास्थिति उम्मीदवार को या उस व्यक्ति को, जिसने कि उसके (उम्मीदवार की) ओर से निक्षेप किया हो लौटा दिया जायगा.

9. **नाम, निर्देशन-पत्रों का नामंजूर किया जाना तथा उसकी सूक्ष्म जांच—**

(1) ऐसे नाम निर्देशन-पत्र, जो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उसके कार्यालय में इस प्रयोजन के लिये अध्यक्ष द्वारा नियत किये गये तथा राजपत्र में अधिसूचित किये गये दिनांक को 12 बजे मध्यान्ह तक प्राप्त न हों, नामंजूर कर दिये जायेंगे.

(2) प्रत्येक उम्मीदवार और उसका प्रस्तावक तथा समर्थक इस प्रयोजन के लिये अध्यक्ष द्वारा नियत किये गये दिनांक को तथा समय पर निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो सकेगा.

(3) निर्वाचन पदाधिकारी तत्पश्चात् नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म जांच करेगा और या तो अपने स्वविवेक से या की गई आपत्ति पर उन समस्त प्रश्नों को विनिश्चत करेगा जो कि किसी नाम निर्देशन की विधि मान्यता के बारे में उद्भूत हों और ऐसे किसी प्रश्न के बारे में उसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

10. **नवम निर्देशन-पत्रों की सूक्ष्म जांच के पश्चात् प्रक्रिया :—**

(1) यदि किसी राजस्व आयुक्त के संभाग में से सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट किये गये उम्मीदवारों की संख्या एक हो, तो निर्वाचन पदाधिकारी तत्काल उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर देगा.

(2) यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या एक से अधिक हो, तो निर्वाचक पदाधिकारी उनके नाम तथा पते तत्काल राजपत्र में प्रकाशित करेगा और उनके नाम मत-पत्र प्ररूप तीन में प्रविष्ट करवायेगा.

(3) सम्यक रूप से नामनिर्दिष्ट कोई भी उम्मीदवार मतों की सूक्ष्म जांच तथा जितनी के लिए नियम दिनांक से पूरे दो दिन पूर्व न कि उसके पश्चात् लिखित तथा हस्ताक्षरित किया गया नाम वापिसी-पत्र निर्वाचन पदाधिकारी को भेजकर अपनी उम्मीदवारी वापिस ले सकेगा और तत्पश्चात् उसे यह अनुज्ञेय नहीं होगा कि वह ऐसी नाम वापसी को नामंजूर कर दे.

(4) नाम वापिसी की ऐसी सूचना प्राप्त होने पर निर्वाचन पदाधिकारी नाम वापिसी के ऐसे तथ्य को राजपत्र में प्रकाशित करेगा.

(5) यदि ऐसे किसी उम्मीदवार की, जो सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया हो और जिसने उपनियम (3) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार अपनी उम्मीदवारी वापिसी न ली हो, उम्मीदवारी से नाम वापिसी की सूचना प्रस्तुति के समय के बाद तथा मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मृत्यु हो जाय, तो निर्वाचन पदाधिकारी, उम्मीदवार की मृत्यु के तथ्य के बारे में समाधान हो जाने पर यह घोषित करेगा कि उक्त निर्वाचन के संबंध में समस्त कार्यवाहियों नवीनतः प्रारंभ की जायेगी मानों की वह सभी प्रकार से एक नवीन निर्वाचन है.

(6) इस प्रयोजन के लिए नियत किये गये ऐसे दिनांक को या उनके पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचक को प्ररूप तीन में एक मत-पत्र जो निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा.

परन्तु किसी निर्वाचक द्वारा उसका मतपत्र उसे प्राप्त न होने के कारण कोई निर्वाचन अधिमान्य नहीं होगा.

11. **मतदान :—**

(1) ऐसे प्रत्येक निर्व्राचक, जो अपना मत अभिलिखित कराने की वांछा करता हो, निर्वाचन पदाधिकारी को, अपना मतपत्र उसमें विहित की गई रीति से अपना मत अभिलिखित किये जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भिजवायेगा.

परन्तु उन मतपत्रों को नामंजूर कर दिया जायगा जो अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किये गये दिनांक को 12 बजे मध्यान्ह पूर्व तक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त न किये जाय.

(2) ऐसा प्रत्येक निर्वाचक, जिसने अपने मतपत्र की अनवैधानता पूर्वक ऐसी रीति में उपयोग किया हो कि जिससे उसके मतपत्र के रूप में समुचित उपयोग न किया जा सके तो निर्वाचन पदाधिकारी को वह (मतपत्र) परिदन्त किये जाने तथा अनवैधनता के बारे में उसका समाधान हो जाने पर, विकृत पत्र के स्थान पर नवीन मतपत्र अभिप्राप्त कर सकेगा और पूर्ववर्ती मतपत्र को उसके प्रतिपर्ण सहित रदद् किये गये रूप में चिन्हित किया जायगा.

12. **मतपत्रों का सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना :—**

(1) निर्वाचन पदाधिकारी, अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात कि निर्वाचकों ने अपने हस्ताक्षर प्रतिपर्ण पर कर दिये हैं, प्रतिपर्णों को अलग कर देगा और नियम 15 के अधीन उनका निर्वर्तन होने तक उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा.

(2) निर्वाचन पदाधिकारी सूक्ष्म जांच के समय ऐसे किसी मतपत्र शब्द "नामंजूर किया गया" पृष्ठांकित कर देगा जिसे वह इस आधार पर नामंजूर कर दे कि वह मतपत्र दी गई शर्तों का पालन नहीं करता है.

13. **मतपत्रों की सूक्ष्म जांच—**

(1) निर्वाचन पदाधिकारी, अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किये गये दिनांक को 12 बजे मध्यान्ह में अपने कार्यालय में मत-पत्रों की सूक्ष्म जांच तथा गणना करेगा.

(2) मतगणना की कार्यवाही की देख रेख हेतु प्रत्येक उम्मीदवार या तो स्वयं उपस्थित रह सकेगा या उसके द्वारा लिखित में प्राधिकृत किये प्रतिनिधि को भेज सकेगा.

(3) यदि ऐसा निवेदन किया जाय तो निर्वाचन पदाधिकारी मतपत्र न कि उनके प्रतिपर्ण, उम्मीदवारों या उनके प्रतिनिधियों को दिखायेगा.

(4) यदि किसी मतपत्र के संबंध में इस आधार पर आपत्ति की जाये कि वह उसमें के अनुदेशों का अनुपालन नहीं करता है या निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किसी मतपत्र के नामंजूर किये जाने के बारे में आपत्ति की जाये, तो उसे निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा तुरंत विनिश्चित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा.

14. **मतदान का परिणाम—**

(1) मतों की गणना पूरी हा जाने पर निर्वाचन पदाधिकारी उस उम्मीदवार को जिसे कि अधिकतम मतों की संख्या प्राप्त हुई हो, तत्काल निर्वाचित घोषित कर देगा.

(2) यदि किन्हीं उम्मीदवारों में मतों की समानता पाई जाय और मत की वृद्धि से कोई उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जाने का हकदार हो जाय तो उस व्यक्ति का अवधारण, जिसे कि अतिरिक्त मत दिया गया समझा जावे, निर्वाचन पदाधिकारी के समझ ऐसी रीति में जैसे कि वह अवधारित करें, पर्ची डालकर किया जायगा.

15. **मतपत्रों का रखा जाना और उनका नाशन :—** गणना पूरी हो जाने पर तथा उसके द्वारा परिणामों की घोषणा किये जाने के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी मतपत्रों को और निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य दस्तावेजों को मुहरबंद कर देगा और उन्हें छः मास की कालावधि तक रखेगा और उसके बाद उनका नाशन करवायेगा.

16. **निर्वाचित उम्मीदवारों की नामों का प्रकाशन :—**निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम राज्य शासन को, राजपत्र में उसके द्वारा प्रकाशित किये जाने हेतु तुरन्त भेजेगा.

17. **किसी निर्वाचन को वातिल घोषित करने संबंधी राज्य शासन की शक्ति :—**राज्य शासन अपने स्वविवेक से या की गई आपत्ति पर किसी निर्वाचन को किसी भ्रष्ट तरीके या अन्य पर्याप्त कारण से वातिल घोषित कर सकेगा और निर्वाचकगणों को नवीन निर्वाचन करने हेतु कह सकेगा. इस नियम के अधीन राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

18. **राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा :—**नियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तथा 17 के आशय, निर्वाचन या लागू किये जाने संबंधी उद्भूत होने वाले किसी प्रश्न के बारे में राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा.

अध्याय तीन-अपील

19. **अपील की विशिष्टयां :—** अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में या रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के लिये जाने बाबत् रजिस्ट्रार को विनिश्चय के विरूद्ध अपील लिखित में होगी और उसमें संबंधित व्यक्तियों के नाम उनकी अर्हताएं वे दिनांक तथा वे प्राधिकारी जिनसे कि उन्हें प्राप्त किया गया था और अन्स साखान विशिष्टियों के साथ वे आधार भी कथित किये जायेंगे जिस पर कि अपील में दावा किया गया हो.

20. **अपील किसी समिति को निर्दिष्ट की जायगी :—**अपील प्राप्त होने पर, बोर्ड के सदस्यों में से गठित किसी समिति को विचारार्थ तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट की जायगी.

21. **दस्तावेज मांगने की समिति की शक्ति :—**समिति को संबंधित व्यक्ति से निरीक्षण हेतु मूल उपाधि उपाधिपत्र या अनुज्ञप्ति और ऐसे अन्य दस्तावेजों या मौखिक साक्ष्य की, जिसे कि वह (समिति) आवश्यक समझे, निरीक्षण हेतु मांगने की शक्ति होगी.

22. **समिति बोर्ड की रिपोर्ट देगी :—**अपनी जांच पूरी कर लेने के पश्चात समिति अपनी ऐसी सिफारिशें, जिन्हें कि वह करना उचित समझे, उन सिफारिशों के कारणों को समाविष्ट करते हुए एक रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी.

23. **बोर्ड की अपील तथा रिपोर्ट का प्रस्तुत किया जाना :**—अपील, उस पर समिति की रिपोर्ट तथा मामले से संबंधित समस्त अन्य दस्तावेजों बोर्ड के समक्ष उसके आगामी सम्मिलन में प्रस्तुत की जायगी/किये जायेंगे.

24. **अपील की सुनवाई का दिनांक बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जायेगा :**—वह दिनांक, जिसको कि बोर्ड द्वारा अपील पर विचार किया जायगा, संबंधित व्यक्तियों को अधिसूचित किया जायगा. उन्हें यदि वह ऐसा करना चाहे, अपने मामले का बोर्ड के समक्ष या तो व्यक्तिश: या उनके विधिक प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व करने हेतु अनुज्ञात भी किया जायगा.

चौथा अध्याय-रजिस्ट्रार

25. **नियुक्ति के लिए अर्हता :**—

(1) रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त हेतु मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय की उपाधि प्राप्त होना एक अनिवार्य अर्हता होगी किन्तु इसके अलावा विधि में उपाधी को इस पद पर नियुक्ति हेतु अधिमान्यता दी जायगी.

(2) **दूसीर आवश्यक अर्हता :**—किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेद की परीक्षा में अर्ह कोई व्यक्ति.

(3) इस पद के लिए किसी शासकीय या अशासकीय संस्था में कम से कम पांच वर्षों का प्रशासकीय अनुभव.

26. **रजिस्ट्रार का वेतनमान :**—

(1) रजिस्ट्रार के पद का वेतनमान रुपये 275-275-300-15-405-द.रो-20-425-25-475 होगा.

(2) राज्य शासन के अधीन समान पदों के मामले में अनुज्ञेय महंगाई तथा अन्य भत्ते इस पद के लिए भी लागू होंगे.

(3) राज्य शासन द्वारा अपने कर्मचारियों को समय-समय पर मन्जूर किये गये महंगाई तथा अन्य भत्तों के लाभ बोर्ड के कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होंगे.

27. **रजिस्ट्रार की नियुक्ति :—**

(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति उपनियम (2) के अधीन गठित की गई समिति द्वारा सिफारिश किये गये 3 व्यक्तियों से अनधिक व्यक्तियों की तालिका में की जायगी परंतु यदि बोर्ड इस प्रकार सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से किसी को भी अनुमोदित न करे या समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों में से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया व्यक्ति/किये गये व्यक्ति नियुक्ति स्वीकार करने के लिये इच्छुक न हों, तो बोर्ड ऐसी समिति से नवीन सिफारिशों की मांग कर सकेगा.

(2) समिति में बोर्ड का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्य शासन का एक नाम निर्देशित अन्तर्विष्ट होगा.

(3) समिति, उसके द्वारा अनुमोदित किये गये प्रारूप के अनुसार दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर इस पद के लिए आवेदन-पत्र मंगायेगी, जिला नियोजन कार्यालय को भी सूचना दी जायगी.

(4) संयोजक, समिति के अनुमोदन से उम्मीदवारों को,उसे द्वारा विनिर्दष्ट किये गये दिनांक, समय तथा स्थान पर साक्षात्कार हेतु बुलायेगी.

28. **सेवा की शर्तें :—**

(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति दो वर्षों की कालावधि के लिये की जायेगी और उसके बाद बोर्ड यदि उसके कार्य से समाधान हो जाय, तो उसे या तो स्थायी कर देगा या परिवीक्षा कालावधि को एक समय में एक वर्ष की कालावधि के लिए विस्तारित कर देगा परंतु यदि बोर्ड का उसके कार्य से समाधान न हो तो एक मास की सूचना देने या सूचना के बदलने में एक मास का वेतन देने के पश्चात् उसकी सेवायें समाप्त कर सकेगा.

(2) रजिस्ट्रार की सेवायें पेंशन योग्य नहीं होगी तथा अभिदायी भविष्य निधि द्वारा शासित होगी.

(3) रजिस्ट्रार ऐसे आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकश तथा यात्रा भत्ता आदि के लिये हकदार होगा जो इस प्रवर्ग के शासकीय सेवकों के लिये अनुज्ञेय हो.

(4) सामान्यत: रजिस्ट्रार की अधिवार्षिकी आयु 55 वर्ष होगी और तत्पश्चात् उसे सेवा निवृत्त कर दिया जायगा परन्तु यदि कोई पदधारी शारीरिक रूप से उपयुक्त हो और बोर्ड द्वारा यह सिफारिश की जावे की 55 वर्ष के बाद उसकी सेवायें अनिवार्य हैं, तो इस संबंध में बोर्ड को एक संकल्प पारित करना होगा और तब सेवा वृद्धि इस शर्त पर मंजूर की जायगी कि किसी भी मामले में सेवा वृद्धि 60 वर्ष की आयु के बाद नहीं दी जायगी.

(5) रजिस्ट्रार के विरूद्ध अनुशासनात्मक विषयों के संबंध में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे.

अध्याय पांच-व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण

29. **बोर्ड द्वारा बनाये रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप :**—अधिनियम की धारा 24 के अधीन राज्य के व्यवसायियों का रजिस्टर प्ररूप चार में बनाये रखा जायगा.

30. **रजिस्टर का सत्यापन :**—राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर का सत्यापन अध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर अंकित कर दिया जायगा.

31. **रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र :**—रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र प्ररूप पांच में होगा और उसके साथ ऐसे प्रमाण-पत्र, उपाधि या उपाधि-पत्र का जो कि अधिनियम में रजिस्ट्रीकरण के लिए अनुमोदित हों, राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित प्रति संलग्न होगी ऐसे अन्य प्रमाण-पत्रों की भी जिन्हें कि आवेदन पर विनिश्चय किये जाने के लिये विचार करने हेतु व्यवसायी प्रस्तुत करने की वांछा करे, संलग्न किया जा सकेगा. रजिस्ट्रार ऐसे अन्य प्रमाण-पत्र, प्रशंसा-पत्र आदि भी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो कि वह आवश्यक समझे. मूल प्रमाण-पत्र आदि आवेदन-पत्र के साथ संलग्न नहीं किये जायेंगे किन्तु रजिस्ट्रार किसी आवेदक उन्हें पेश करने की अपेक्षा कर सकेगा.

32. **फीस का निक्षेप :—**

(1) ऐसे किसी व्यक्ति को जो राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में अपना नाम अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन प्रविष्ट करने हेतु आवेदन करे, आवेदन-पत्र के साथ 20 रुपये का निक्षेप धनादेश द्वारा करना होगा.

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसका कि नाम राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है और जिनसे आयुर्वेद, यूनानी या प्राकृतिक चिकित्सा में कोई उपाधि, उपाधि-पत्र तथा अन्य समान अर्हता प्राप्त की हो, तो वह धारा 26 के अधीन रजिस्ट्रार को धनादेश द्वारा 5 रुपये की फीस के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर अपनी अतिरिक्त अर्हता रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा.

(3) ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 27 के अधीन अस्थायी क्लीनिक व्यवसायी के रूप में रजिस्ट्रीकरण की वांछा करता है, इस प्रयोजन के लिये संबंधित परीक्षा में सफलता का प्रमाण-पत्र संलग्न करते हुए आवेदन कर सकेगा. रजिस्ट्रार, प्रमाण-पत्र के साथ ऐसा आवेदन-पत्र प्राप्ति होने पर एक अस्थायी प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

(4) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी के प्रमाण-पत्र खो जाने या नष्ट हो जाने की दशा में संबंधित व्यक्ति, रजिस्ट्रार को 5 रुपये की फीस के साथ एक ऐसा आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा जो प्रमाण-पत्र खो जाने के बाबत मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया हो और इस प्रकार प्रमाणीकरण किये जाने पर रजिस्ट्रार दूसरा प्रमाण-पत्र जारी करेगा.

33. **पते में तब्दीली :**—प्रत्येक व्यवसायी इस बात की सावधानी बरतेगा कि वह उसके पते में की किसी तब्दीली के बारे में रजिस्ट्रार को तुरन्त रिपोर्ट दे और इस संबंध में प्राप्त हुई रजिस्ट्रार की किसी संसूचना का उसे (रजिस्ट्रार को) तुरन्त उत्तर देगा, जिससे कि उसका सही पता राज्य के रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों के रजिस्टर में समुचित रूप से प्रविष्ट किया जा सके.

34. **राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर का प्रकाशन :**—रजिस्ट्रार के लिये यह बाधताकारी होगा कि वह प्रत्येक पांच वर्षों में राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर का प्रकाशन कराये परन्तु यह कि प्रथम प्रकाशन बोर्ड के गठन से तीन वर्ष समाप्त होने के एक सौ बीस दिन पूर्व किया जाना चाहिए. रजिस्ट्रार ऐसी मुद्रित सूची की प्रति कुछ कोरे कागजों के साथ रखेगा, जिनमें कि वह उस वर्ष में अपेक्षित किसी तब्दीली या हटाये जाने संबंधी प्रविष्ट करेगा.

35. **रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र :—** ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसका कि नाम राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया हो, प्रारूप छः में रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए हकदार होगा. प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त होने के दिनांक से 9 मास के भीतर बोर्ड के कार्यालय से जारी किया जायेगा. उन व्यक्तियों को, जिनका आवेदन-पत्र नामंजूर किया गया हो, उनके आवेदन-पत्र की नामंजूरी से तीस दिन के भीतर अनुदेश दिये जायेंगे.

36. **रजिस्ट्रीकरण का सबूत**—रजिस्टर का अंतिम संस्करण रजिस्टर का विधिक सबूत होगा परन्तु यह कि यदि किसी व्यक्ति का नाम राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में मुद्रित न हो और जो रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित किया गया इस बात का प्रमाण-पत्र कि उसका नाम बोर्ड के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत है, पेश कर सके तो वह इस बात का सबूत माना जायगा कि वह (व्यक्ति) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति है.

37. **व्यवसायियों के रजिस्टर में सम्मिलित किये जाने हेतु आवेदन-पत्र**—ऐसे व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन व्यवसायियों की सूची में अपने नाम समाविष्ट करने की वांछा करते हों, 50 रुपये की फीस के साथ प्ररूप सात में रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेंगे, रजिस्ट्रार आवेदन-पत्र के बारे में अपना समाधान कर देने के पश्चात् उसका नाम व्यवसायियों की सूची में समाविष्ट कर लेगा और उसकी प्रज्ञापना संबंधित व्यक्ति को देगा.

38. **विघटित बोर्ड के व्यवसायियों का रजिस्ट्रीकरण**—अधिनियम की धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट उन अधिनियमों में से जो कि निरसित किये गये हैं, किसी के भी अधीन रजिस्ट्रीकृत समस्त चिकित्सा व्यवसायियों को बोर्ड की स्थापना के दिनांक को, यदि वे अपेक्षित अर्हता रखते हों, नियम 35 के अधीन उनका नाम रजिस्ट्रीकृत किये जाने के पश्चात् एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा किन्तु ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पूर्व उन्हें रजिस्ट्रार को पुराना रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र भेजना होगा.

39. **राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में से व्यवसायी के नाम का हटाया जाना**—रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों के नामों के हटाये जाने बाबत सूचना उसके लिए लिखित में कारण देते हुए, सर्वाधिक प्रचलित दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करायेगा और यदि छः मास के भीतर ऐसे व्यवसायी से कोई उत्तर प्राप्त न हो, तो रजिस्ट्रार उसका नाम चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्टर में से हटा देगा.

अध्याय छः-निरसन

40. **निरसन**—इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त इन नियमों के तत्स्थानी वे समस्त नियम एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

परन्तु इस प्रकार निरसित किये गये किन्हीं भी नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्यवाही, जब तक कि ऐसी बात या कार्यवाही इन नियमों के किन्हीं भी उपबन्धों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायगी.

प्ररूप–एक
(नियम 5 देखिये)

.... राजस्व आयुक्त संभाग

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन ....राजस्व आयुक्त संभाग में मतदान के लिये अर्ह रजिस्ट्रीकृत व्यवसायियों की सूची

क्रमांक	उन व्यक्तियों के मामलों में जो मतदान के लिए अर्ह हों, रजिस्ट्रीकरण क्रमांक	नाम	पिता का नाम	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

मैं यह प्रमाणित करता हूं कि वे समस्त व्यक्ति, जिनके कि नाम उपरोक्त नामावली में प्रविष्ट किये गये हैं, छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, 1970 के अधीन मतदान के लिये अर्ह हैं.

दिनांक ....

....
निर्वाचन पदाधिकारी

प्ररूप–दो

(नियम 7 देखिये)

नाम निर्देशन–पत्र

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम 1970 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन निर्वाचन

उम्मीदवारों का नाम	पिता का नाम	रजिस्ट्रीकरण क्रमांक तथा उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसके लिये नाम निर्देशन किया गया है	पता	प्रस्तावक के हस्ताक्षर पूरे नाम तथा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक सहित	समर्थक के हस्ताक्षर पूरे नाम तथा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक सहित
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

मैं, एतद्द्वारा, घोषित करता हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसके कि बारे में ऊपर कालम (3) में प्रविष्टिय दी गई हैं और वह कि मैं इस नामनिर्देशन से सहमत हूं.

....

(हस्ताक्षर) उम्मीदवार

टिप्पणी—ऐसे नाम निर्देशन–पत्र जो, दिनांक ....को 12 बजे मध्यान्ह के पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त न हो अविधिमान्य होंगे.

प्ररूप-तीन

(नियम 10 के उपनियम (2) तथा (6) देखिये)

मतपत्र

प्रतिपर्ण क्रमांक .... क्रमांक ....

मतपत्र ....

अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट किये गये व्यक्तियों द्वारा .... राजस्व आयुक्त संभाग से बोर्ड के लिए एक सदस्य निर्वाचित किया जाना है.

मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसका नाम निर्वाचक नामावली में है.	क्रमांक	सम्यकरूप से नामनिर्दिष्ट किये गये उम्मीदवार का नाम	मत
		....	

हस्ताक्षरित ....

नामावली का क्रमांक ....

निर्वाचन क्षेत्र का नाम

....

निर्वाचन पदाधिकारी

अनुदेश

1. प्रत्येक निर्वाचक को एक मत होगा.
2. वह उस उम्मीदवार के नाम के सामने, जिसे कि वह अधिमान्य दें, + चिन्ह लगा कर मत देगा.
3. यदि + चिन्ह एक से अधिक व्यक्तियों के सामने लगाया हो या चिन्ह इस प्रकार से लगाया गया हो कि जिससे वह किस उम्मीदवार के लिये आशयित है इसके बारे में संदेह उत्पन्न हो, तो मतपत्र अविधिमान्य हो जायगा.
4. निर्वाचक, प्रतिपर्ण पर दी गई घोषणा को हस्ताक्षरित करेगा और ऐसे हस्ताक्षरों के बिना मतपत्र अविधिमान्य हो जायेंगे.
5. यदि कोई निर्वाचक एक से अधिक मतपत्र भरता है तो उसके द्वारा अभिलिखित समस्त मतपत्र अविधिमान्य हो जायेंगे.
6. मतपत्र निर्वाचन पदाधिकारी को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजे जायेंगे, ऐसे मतपत्र जो दिनांक...................................12 बजे मध्यान्ह के पूर्व निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त न किये जायें नामंजूर कर दिये जायेंगे.

प्ररूप–चार
(नियम 29 देखिये)

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड राज्य के व्यवसायियों का रजिस्टर

क्रमांक	नाम	पिता का नाम	अर्हताएं तथा दिनांक जब कि वे अधिप्राप्त की गई हों.	फीस
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

आयु	व्यवसाय का स्थान	रजिस्ट्रीकरण का दिनांक तथा स्थान	रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर	टिप्पणी
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

प्ररूप-पांच

(नियम 31 देखिये)

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन-पत्र का प्ररूप

दिनांक 199

प्रति,

रजिस्ट्रार,
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर,

निवेदन है कि मेरा नाम आयुर्वेदिक, यूनानी तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों के व्यवसायियों के लिए बनाये रखे गये राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया जाय और कृपया मुझे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिया जाय.

2. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है :—
उपाधि-पत्रों, प्रमाण-पत्रों और प्रशंसा-पत्रों की राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से अभिप्रमाणित प्रतियां इसके साथ संलग्न की गई है.

3. धनादेश क्रमांक .... दिनांक .... के द्वारा रजिस्ट्रीकरण फीस के रूप में रुपये 200 भेजे गये हैं.

(1) नाम ....

(2) पिता का नाम ....

(3) पता ....

(4) जन्म दिनांक तथा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को आयु ....

(5) व्यवसाय का स्थान :—

(क) नगर या ग्राम ....

(ख) डाकघर ....

(ग) जिला ....

(6) अर्हताएं तथा उन्हें अभिप्राप्त करने का दिनांक ....

(7) उस महाविद्यालय या संस्था का नाम जहां से कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण की हो ....

(8) वह दिनांक जिससे कि आवेदक ने व्यवसाय प्रारम्भ किया हो ....

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दी गई जानकारी सही और मैं यह वचन देता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये व्यवसायियों के रूप में अनुसरित किये जाने वाले व्यवसायिक शिष्टाचार सम्बन्धी नियमों का पालन करूंगा.

....
आवेदक के हस्ताक्षर

प्ररूप–छः
(नियम 35 देखिये)

छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर

(मुद्रा)
रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र क्रमांक ....

1. नाम ....
2. पिता का नाम ....
3. पता ....
4. अर्हतायें ....
5. आयु ....
6. व्यवसाय का स्थान ....
7. रजिस्ट्रीकरण का दिनांक ....

प्रमाणित किया जाता है कि यह छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर द्वारा बनाये गये राज्य के व्यवसायियों के रजिस्टर में के ऊपर विनिर्दिष्ट नाम की प्रविष्टि की सत्य प्रतिलिपि है.

....
रजिस्ट्रार
*छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी
चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक
चिकित्सा बोर्ड, रायपुर.

रायपुर ....

दिनांक ....

प्ररूप–सात

(नियम 37 देखिये)

व्यवसायियों की सूची में नाम समाविष्ट किये जाने हेतु आवेदन–पत्र

प्रति,

रजिस्ट्रार,
छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड, रायपुर,

आपसे सानुरोध निवेदन है कि आपके द्वारा बनाई गई व्यवसायियों की सूची में मेरा नाम समाविष्ट करे तथा उसकी जानकारी मुझे दें.

2. सूचीकरण हेतु आवश्यक जानकारी एवं सुसंगत प्रमाण–पत्रों की मजिस्ट्रेट द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रतियां संलग्न हैं :—

3. सूचीकरण फीस के रूप में 50 धनादेश क्रमांक .... दिनांक .... द्वारा प्रेषित हैं.

(1) नाम ....

(2) पिता का नाम ....

(3) पता ....

(4) जन्म दिनांक तथा आयु ....
(आवेदन–पत्र प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को)

(5) व्यवसाय का स्थान :—

(क) शहर या ग्राम ....

(ख) डाकघर ....

(ग) जिला ....

(6) व्यवसाय की कालावधि ....

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैंने इसके पूर्व रजिस्ट्रीकरण या सूचीकरण हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है. उपरोक्त स्थान पर मैं गत .... वर्षों से व्यसाय कर रहा हूं.

....
आवेदक के हस्ताक्षर

Bhopal, the 14th March 1973

No. 10-2-73-4-XVII.—In exercise of the powers conferred by section 42 of the Chhattisgarh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavsai Adhiniyam, 1970 (5 of 1971), the state Government hereby makes the following rules, the same having been previously published as required by sub-section (1) of the said section, namely :—

RULES

CHAPTER-1
PRELIMINARY

1. **Short title** —These rules may be called the Madhya Pradesh Ayurvedic Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavsai Rules, 1973.

2. **Definition—** In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Chhattisgarh Ayurvedic, Unani Tatha Prakritic Chikitsa Vyavsai Adhiniyam, 1970 (No. 5 of 1971).

(b) "Returning Officer" means the Registrar appointed under sub-section (1) of section 20 of the Act;

(c) "Form" means a form appended to these rules;

(d) "Director" means the Director of Health (Medical) Services, Chhattisgarh;

(e) The words and expressions used in the Act and not defined in these rules shall have the meaning assigned to them in the Act.

CHAPTER-II
ELECTION TO THE BOARD

3. **Election of the president—**

(1) As soon as may be after the election and nomination of the members under section 4 of the Act are completed, the Director shall fix the date, place and time for the election of the President and the Returning Officer shall thereupon issue a notice by registered post to all the members accordingly to meet and elect the President.

(2) The meeting for the election of the President shall be Presided over by the Director.

(3) At any time before 12 noon on the day so fixed any memebr may nominate another member for election by delivering to the Returning Officer a nomination paper signed by himself as proposer and by a third member as seconder and stating the name of the memebr nominated: and that the proposer has ascertained that such member is willing to serve as President if elected.

(4) On the date fixed for election, the Director shall read out to members, the names of the members nominated together with those of their proposers and seconders and if only one member has been so nominated, shall delcare that members to be duly elected as the President and if more than one member have been so nominated the members shall proceed to elect the President by ballot.

(5) Where more than two candidates have been nominated and at the first ballot no candidate obtans more votes than the aggregate votes obtained by the other candidate, the candidate who has obtained the smallest number of votes shall be excluded from the election and balloting shall proceed. The candidate obtaining the smalest number of votes at each ballot being excluded from the election until one candidate abtains more votes than the aggregate votes of the remaining candidtes. The candidate who obtains more votes than those obtained by the remaining candidates or than the aggregate votes obtained by the remaining candidates, as the case may be, shall be declared to have been elected as President.

(6) Where at any ballot any tow or more candidates obtain an equal number of votes and one of them has to be excluded from the election, under sub-rule (5) the determination as between the candidates whose votes are equal of the candidates who is to be excluded shall by drawing of lots.

4. **Election of the Vice-President**—The election of the Vice-President shall be held by the President on the date fixed by him and the procedure prescribed in rule 3 shall mutatis mutandis apply for the election of the Vice-President

5. **Preparation of electoral rolls—**

(1) For the purpose of election under section 4 of the Act, the Returning Officer, shall prepare in each Revenue Commissioner's Division, an electoral roll in form 1 containing the names of all registered practitioners residing or practicing in the divison. The electoral rolls so prepared shall be published in the "Chhattisarh Gazette" at least two months, before the election together with a notice stating that any objection relating to entires in or omission from the said elecoral roll may be preferred to the Returning Officer at his office on or before the date to be specified in the notice.

(2) In the case of practitioner not residing in Chhattigarh his name shall be entered in the electoral roll of Revenue Commissioner's Division in which he originally practised.

(3) No practitioner's name shall be included in the electoral rolls of more than one Revenue Commissioner's Division.

6. **Hearing of objections**,—On or after the said the said date Returning Officer shall consider the objections so reeived and revise the electoral rolls on the basis of the register of Vaidyas, Hakims and Prakratik Chikitsak maintained under the Act and shall publish in the "Chhattisgarh Gazette" the final electoral rolls on or before the date fixed by the President for this purpose. These electoral rolls shall than be deemed to be final and conclusive.

7. **Nominations—**

(1) Any practitioner whose name is on the electoral rolls of a Revenue Commissioner's Division and who is not disqualified under section 6 of the Act may be nominated as a candidate for election for the Revnue Commissioner's Division.

(2) Such nomination shall be made by means of nomination paper in form ll which shall be suplied by the Returning Oflficer to any elector who may apply for the same.

(3) Every nomination paper shall be subscribed by two electors as proposer and seconder provided that no elector shall subscribe more nomination papers than one. Provided also that if more than one nomination paper are subscribed by the same elector the nomination paper first received by the Returning Officer shall, if othersise in order, be held to be valid, and if more than one nomination paper, signed by the same elector be recevied simultaneously by the Returning Officer, all of such nomiation papers shall be held to be invalid.

(4) On receipt of a nomination paper the Returning Officer shall forth with endorse thereon the date and hour of receipt.

8. **Deposit—**

(1) At the time of delivery of a nomination paper, there shall be enclosed with the nomination paper a post office, money order receipt for Rupees 50 (Fifty) in favour of the Board, and no candidate shall be deemed to be duly nominated unless such receipt is enclosed with the nomination paper.

(2) If a candidate by whom or on whose behlf the deposit has been made withdraws his candidature in the manner and within the time specified hereinafter of if the nomination of any such candidate is refused, the deposit shall be returned to the person by whom it was made, and it any candidate dies before the commencement of the poll, such deposit if made by him, shall be returned to his legal representative or if not made by the candidate, shall be returned to the person by whom it was made.

(3) If a candidte by whom or on whose behalf the deposit referred to the sub-rule (1) has been made is not elected and the number of votes polled by him does not exceed 1/8 (one eight) of the total nmuber of votes polled, the deposit shall be forfeited to the Board.

(4) For the purpose of sub-rule (3) the nmuber of votes polled shall be deemed be the number of voting papers, other than rejected voting papers, counted.

(5) The deposit made in respect of a candidate whether the is elected or not shall if it is not forfeited under sub-rule (3), be retrurned to the candidate or to the person who has made the deposit on his behalf, as the case may be, as soon as may be after the publication of the result of the election in the Gazette.

9. **Rejetion and scrutiny of Nomination paper—**

(1) Nomination papers which are not received by the Retuning Officer in his office before 12 noon on the date fixed by the president for the purpose and notified in the Gazette shall be rejected.

(2) Every candidate and his proposer and seconder may attend the office of the Returning Officer at the time and place fixed by the President for the purposes.

(3) The Returning Officer shall then examine the nomination papers and may either of his own motion or on objection made, decide all questions which may arise as to the validity of any nomination and his decision on any question shall be final.

10. **Procudure after scrutiny of nomination papers—**

(1) If the number of duly nominated candidate from a Revenue Commissionr's Division is one, the Returning Officer shall forthwith declare such candidate to be elected.

(2) If the number of such candidates exceeds one, the Returning Officer shall forthwith publish their names and addresses in the Gazette and shall further Cause their names to be entered in voting papers in form III.

(3) Any candidate duly nominated may withdraw his candidature by sending to the Returnign Officer a written and signed withdrawal letter not later than two clear days before the date appointed for the scrutiny and counting of votes and it shall not be permissible to him subsequently to cancel such with drawal.

(4) On receiving notice of such withdrwal the Returning Officer shall publish the fact of such withdrawal in the Gazette.

(5) If a candidate, who has been duly nominated and has not withdrawn his candidature in the manner and within the time specified in sub-rule (3) dies after the expiry of the time of submitting notice of withdrawal of candidature and before the commencement of the poll, the Returning Officer shall upon being satisfied of the fact of the death of the cnadidate, declare that all proceedings with reference to the election shall be commenced new in all respect as if for a new election.

(6) On or before such date as may be fixed by the President for the purpose, the Returning Officer shall send by registered post to each elector a voting paper in form III signed by the Returning Officer.

Provided that no election shall be invalidated by reason of the non-reecipt by an elector, of his voting paper.

11. **Voting—**

(1) Every elector desirous of recording his vote shall send his voting paper, by registered post to the Returning Officer at his office after recording his vote thereon in the manner prescribed therein;

Provided that voting papers which are not received by the Returing Officer before 12 noon on the date fixed for the purpose by the president shall be rejected.

(2) An elector who has inadvertently dealt with his voting paper in such a manner that it cannot properly be used as a voting paper may on delivering it to the Returning Officer and satisfying him of the inadvertence obtain another voting paper in place of the spoilt paper and the former shall together with its counterfoil, be marked as cancelled.

12. **Placing Voting papers in safe custody**,—

(1) After satisfying himself that the electors have afixed their signatures to the counterfoils, the Returuning Officer shall tear off the counterfoils and place them in safe custody pending disposal under Rule 16.

(2) The Returning Officer shall at the time of scrutiny endorse “Rejected” on any voting paper which may be rejected on the ground that it does not comply with the instructions on the voting paper.

13. **Scrutiny of voting papers**—

(1) The Returning Officer shall scrutinise and count the votes at his office at 12 noon on the date fixed for the purpose by the President.

(2) Every candidate may be present in person or may send a representative duly authorised by him in writing to watch the process of counting.

(3) The Returning Officer shall show the voting papers if requested but not the counterfoil to the candidates or their representatives.

(4) If any objection is made, to any voting paper on the ground that it does not comply with the instructions therein or to the rejection by the Returning Officer of a voting paper it shall be decided atonce by the Returning Officer whose decision shall be final.

14. **Result of Voting**—

(1) Where the counting of votes has been completed the Returning Officer shall forthwith declare the candidate to whom the largest number of votes has been given to be elected.

(2) where an equality of votes is found to exist between any candidates and the addition of a vote will entitle any of the candidaes to be declared elected, the determination of the person to whom such an additional vote shall be deemed to have been given shall be made by lot to be drawn in the presence of the Returning Officer and in such manner as he may determine.

15. **Retention of voting papers and thir destruction**—Upon the completion of the counting and after the result has been declared by him, the Returning Officer shall seal up the voting papers and all other documents relating to the election and shall retain the same for a period of six months and there after cause them to be destroyed.

16. **Publication of the names of elected candidates**—The Returning Officer shall forthwith send the name of the elected candidature ot the state Government to be published by them in the Gazette.

17. **Power of Government to declare election to be void**—The state Government may of its own motion or on objection made declare any election that has been held to be void on account of any corrupt practice or other suffient cause and may call on the electorate to make a fresh election. The decision of the state Government under this rule shall be final.

18. **Decision of the Government to be final**—The decision of the State Government on any question that may arise as to the intention, construction, or application of rules 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and 17 shall be final.

CHAPTER-III
APPEAL

19. **Particulars of Appeal**—An appeal to the Board, preferred under clause (b) or sub-section (2) of section 19 of the Act, aginast the decision of the Registrar regarding the registration of any person or the making of any entry in the registear, shall be in writing and shall state the grounds on which the claim in the appeal is made together with the names of persons concerned, their qualification, the date on which and the authorities from which they were received, and other material particulars.

20. **Appeal to be referred to a committee**—On receipt of the appeal, it shall be referrred to a committee constituted from amongst the memebrs of the Board for consideration and report.

21. **Power of committee to call documents**—The committee shall have power to call for the original degree, diploma or licence from the person concerned for inspection and also such other documentary or oral evidence as may be considered necessary by it.

22. **Committee to report to the Board**—On conclusion of its inquiry the committee shall make a report to the Board embodying such recommendations as it may think fit to make together with the reasons for the recommendations.

23. **Submission of appeal and report to the Board**—The appeal, the committee's report on it and all other documents in connection with the cases shall be laid before the Board at its next meeting.

24. **Date of hearing of appeal to be notified by the Board**—The date on which the appeal is to be taken up by the Board shall be notified to the person concerned. They shall also be allowed, if they so choose, to represent their case before the Board, either personally or by their legal representatives.

CHAPTER-IV
REGISTRAR

25. **Qualification for appointment—**

(1) For the appointment on the post of Registrar, a degree from a recognised University shall be essential qualification but in addition a degree holder in Law shall be given preference for the appointmnent on this post.

(2) Second essential qualification—A person qualified in an examination in Ayurveda from a recognised institutuion.

(3) A minimum five years administrative experience under a Government or non-Government institution shall be essential for the post.

26. **Scale of Pay of Registrar—**

(1) The Scale of pay of the post of the Registrar shall be Rs. 275—275—300—15—405—EB—20—425—25—475.

(2) The dearness and other allowances admissible in the case of similar posts under the State Government shall be applicablem for this post also.

(3) The benefit of dearness and other alowance granted from time to time by the State Government to its employees shall be admissible to the emoloyees of the Board.

27. **Appointment of Registrar—**

(1) The Registrar shall be appointed by the Board from a penel of not less than 3 persons recommended by the committee constituted under sub rule (2) provided that if the Board does not approve of any of the persons so recommended, or the person of persons approved by the Board out of those recommended by the committee are not willing to accept the appointment, the Board may call for fresh recommendations from such committee;

(2) The committee shall consist of the President, Vice-President of the Boad and one nominee of the State Government.

(3) The Committee shall call applications for the post after publication of an advertisement in the daily newpapers in accordance with the draft approved by it. The distirct employment office will also be informed.

(4) The convenor, with the approval of the Committee shall call candidate for interview on the date time and place specified by him.

28. **Condition of Service—**

(1) The appointment of the Registrar shall be made on two years probation and thereafter the Board shall either confirm him if satisfied with him work of extend the period of probation for a further period of one year at a time provided the Board if not satisfied with him work may terminate his servcices during the period of probation after giveing a notice at one month or in lieu of the notice one month salary.

(2) The services of the Registrar shall be non-pensionable and shall be governed by Contributory Provident fund Scheme.

(3) The Registrar shall be entitled for casual leave, earned leave and travellign allowance, etc, as admissible Government servants of his category.

(4) The superannuation age of the Registrar shall ordinarily be 55 years and thereafter the shall be retired. Provided that if the incumbent is physically fit and an ananimus recommendation is made by the Board that his services are essential beyond 55 years, a resolution to this effect shall have to be passed by the Board and then extension can be granted with a condition that no extension shall, in no case be beyound 60 years of age.

(5) For disciplinary matters against the Registrar the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 all apply mutatis mutandis.

CHAPTER-V
REGISTRATION OF PRACTIONERS

29. **Form of register to be maintained by the Board**—The form the State register of practitioners to be maintaned by the Board under section 24 of the Act, shall be in form IV.

30. **Verification of register**—The State register of practitioners shall be verified by the president by affixing his signature.

31. **Application for registration**—The application for registration shall be in the Form V and shall be accompanied by copy, duly attested by Gazetted Officer, of the certificate, degree or diploma approved for registration in the Act. It may also enclosed with it attested copies of such other certificates as the practitioner may wish to submit for consideration in deciding the application may also be enclosed. The Registrar may also require the applicant to furnish such other certificates and testimmonils etc, as he may deem necessary Original certificates, etc, shall not be enclosed with the application, but the Registrar may require any applicant to produce them.

32. **Deposit of Fees—**

(1) Any person applying for having his name entered in the State register practitioner for registration under sub-section (1) of section 25 of the Act shall have to deposit Rs. 20 by money order alongwith the application.

(2) A person whose name has been entered in the State register of the practioners and who has acquired a degree, diploma or other equal qualifiaction in Ayurved, Unani or naturopathy, he may register his additional qualification under section 26 of the Act by sending an application to the Registrar together with a fee of Rs. 5 by money order.

(3) A person who desires his registration as a temporary clinic practitioner under section 27 of the Act, may apply to Registrar with by eclosing a certificate of the concerning examination passed for the purpose. The Registrar on receipt of such application alongwith the certificate shall issue a temporary registration certificate.

(4) In case of loss of destruction of the certificate of a registered practitioner, the person concerned may make an application to Registrar with a fee of Rs. 5 duly certified by a Mgistrate for the loss of certificate and another certificate shall be issued by the Registrar on his being so certified.

33. **Change in address**—Every practitioner shall be careful to set that he reports immedrately to Registrar if there is any change in his address and also reply to him of the communication received from the Registrar in this connection so that his correct address may properly be entered in the State register of practitioners.

34. **Publication of the State register of practitioners**—It shall be obligatiory on the Registrar to get the State register of practitioners published in every five years provided that the first publication is made before hundred and twenty days of the expiry of there years from the date of the constitution of the Board. The Registrar shall along with blank papers, keep a copy of such printed list in which he shall make entry of any change or removal as required in that year.

35. **Certifiate of registration**—Every such person whose name has been entered into the state register of practitioners may make an application to Registrar in From VI and shall be entitiled to obtain the certificate of registration. The certificate shall be issued from the Board Office within 9 months from the date of the receipt of the application for registration. Instructions to the persons whose application has been rejected shall be given within 30 days from the date of order of rejection on their application.

36. **Proof of registration**—The last edition of the register shall be the legal proof of register provided that in case of a person whose name has no been printed in the state register of practitioners and who can produce a copy duly signed by the Registrar that his name is registered in the Board Office, the same shall be the proof of the fact that he is a registered person.

37. **Appliation for inclusion in the practitioners list**—Such persons who are desirious to indlude their names in the list of practioners under sub-section (2) or section 28 of the Act may apply to Registrar in form VII together with a fee of Rs. 50. The Registrar after being satisfied with the application shall include his name in the practitioners list and intimate the same to the person concerned.

38. **Registration of the practitioners of dissolved Board**—All registered practitioners registered under any of the repealed Acts specified under section 44 of the Act, if possess the requisite qualification on the date of establishment of the Board shall be given a certificate after their names have been registered under rule 35 but before obtaining the certificate, old registration certificate shall have to be sent to the Registrar.

39. **Removal of the practitioners name from the State Register of practitioners**—Registrar shall arrange to publish in the largely circulated daily paper for the removal of registered practitioners name under sub-section (4) of section 21 of the Act for the reasons given in writing and of no reply has been received from such practitioner withing six months the Registrar shall remove his name from the Register of the practitioners.

CHAPTER-VI
REPEAL

40. **Repeal**—All rules corresponding to these rules in force in any region of the State of Madhya Pradesh immediately before the commencement of these rules are hereby repealed,

Provided that anything done or any action taken under any of the rules so repealed shall, unless such thing done or action taken is inconsistent with any of the provisions of these rules; be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

FORM I
(See rule 5)

REVENUE COMMISSIONER DIVISION ....

List of Registered Practitioners qualified to vote in the Revenne Commissioner Division ....under clause (c) of sub-section (1) of section 4 of the Chhattisgarh Ayurvedic, Unani and Prakratik Chikitsa Vyavasayi Adhiniyam 1970.

Serial No.	Registration number in case of persons qualified to vote	Name	Father's name	Address
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

I certify that all the persons whose names are entered in the above roll are qualified to vote under clause(c) of sub-section (1) of section 4 of the Chhattisgarh Ayurvedic, Unani and Prakratik Chikitsa Vyavsayi Adhiniyam 1970.

....

Date ....

Returning Officer

FORM II
(See rule 7)

NOMINATION PAPER

Election under clause (c) of sub-section (1) of section 4 of the Chhattisgarh Ayurvedic, Unani and Prakrati Chikitsa Vyavasayi Adhiniyam 1970.

Name of candidate	Father's name	Registration numbers and name of constituency for which the nomination is made	Address	Signature of proposer together with full name and Registration number	Signature of seconder together with full name and registration number
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

I hereby declare that I am the peson about whome the above particulars in column (3) are given and that I agree to this nomination.

(Signature) Candidate ....

Returning Officer

Note,— Nomination papers which are not received by the Returning Officer before 12 noon on the .... shall be invalid.

FORM III
[See sub-rules (2) and (6) of rule 19]

VOTING PAPER

Counterfoil Serial No. Serial No.

Voting Paper

One member is to be elected to the Board from the Revenue Commissioner's Division .... by the persons entered in the electoral roll under sub-section (1) of section 4 of the Act.

I hereby declare that I am the person whose name appears in the electoral roll	Serial number	Name of candidate duly nominated	Vote
(1)	(2)	(3)	(4)
Signed .... Serial number on the roll .... Registration No. .... Name of the Constituency			

....

Returning Officer

INSTRUCTIONS

1. Each elector has one vote.

2. He shall vote by placing the mark X opposite the name of the candidate whom he prefers.

3. The voting paper shall be invalid if the mark X is placed opposite the names of more than one candidate or if the mark is so placed as to render it doubtful to which candidate it is intended to apply.

4. The elector shall sign the declaration on the counterfoil without such signatures the voting paper shall be invalid.

5. If an elector fills in more than one voting paper, all votes recorded by him shall be invalid.

6. Voting papers shall be sent to the Returning Officer by registered post, Voting papers which are not received by the Returning Officer before 12 noon on the .... shall be rejected.

FORM IV
(See rule 29)

CHHATTISGARH AYURVEDIC, UNANI TATHA PRAKARATIK CHIKITSA BOARD

State Register of Practitiones

Serial No.	Name	Father's name	Qualification and date when obtained	Fees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Age	Place of Practice	Data and place of registration	Signature of Registrar	Remark
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

FORM V
(See rule 31)

Form of application for registration

To,

The Registrar,
Chhattisgrh Ayurvedic Ththa Unani Chikitsa
Padhati Avam Prakratik Chikitsa,
Board, Raipur.

I have the honour to request that my name be registred in this State Register of practitioners maintained for Ayurvedic, Unani and Naturopathy Systems of practitioners and I may kindly be furnished with the certificate of registration.

2. The information necessary for registration is given below; Copies of diplomas, certificates and testimonials duly attested by a Gazetted officer are enclosed herewith.

3. Rs. 20—as registration fee has been sent by money order under No. .... dated.

1. Name

2. Father's Name

3. Address

4. Date of birth and age on the date of presenting application

5. Place of practice—
   (a) Town or village
   (b) Post office
   (c) District

6. Qualifications and date of obtaining them

7. The name of college or institution from whiere he passed the examination.

8. Date of which applicant strarted practice.

It is certified that the above given information is true and I promise that I shall abide by the rules laid down by the Chhattisgarh Ayurvedic Tatha Unani Chikitsa Padhati Avam Prakratik Chikitsa Board from time to time in respect of etiquetle of practice to be observed in practitioner.

....

Date ....

Signature of applicant

FORM VI
(See rule 35)

Chhattisgarh Ayurvedic Tatha Unani Chikitsa Padhati Avam Prakratik Chikitsa Board, Raipur

(Seel)

Certificate of registration

Certificate No.

1. Name
2. Father's Name
3. Address
4. Qualifications
5. Age
6. Place of practice
7. Date of registration

It is certified that this is a true copy of the entry of the above specified name in the State Register of practitioners maintained by the Chhattisgarh Ayurvedic Tatha Unani Chikitsa Padhati Avam Prakratik Chikitsa Board Raipur.

....

Registrar

Chhattisgarh Ayurvedic Tatha Unani
Chikitsa Padhati Avam Prakratik
Chikitsa Board, Raipur.

Raipur ....

Dated ....

FORM VII
(See rule 37)

Application for Inclusion of name in the Paractitioners list

To,

The Registrar,
Chhattisgrh Ayurvedic Tatha Unani Chikitsa
Padhati Avam Prakratik Chikitsa, Board, Raipur.

Dear Sir,

I have the honour to request you to please enlist my name in the practitioner's list maintained by you and I may be informed of the name .

2. The information necessary for enlistment being given below alongwith relevant copies of certificates duly certified by the Magistrate,—

3. Rs. 50—being the enlistment fee has been remitted by money order No. .... dated ....

1. Name

2. Father's Name

3. Address

4. Date of birth and age (on the date of submitting the application)

5. Place of practice—
   (a) City or village
   (b) Post office
   (c) District

6. Duration of practice

I solemnly affirm that i have never applied for registration or enlistment ever before. I have been practising at the above place for the last .... years.

....

Signature of applicant

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 11th January 2018

No. 09/Confdl./2018/II-1-4/2016.— It is hereby notified that pursuant to Notification No. K. 13016/02/2017-US.II dated 05-01-2018 of the Government of India, Ministry of Law and Justice, (Department of Justice), New Delhi, Hon'ble Shri Justice Sanjay Agrawal and Hon'ble Shri Justice Rajendra Chandra Singh Samant, Additional Judge have assumed charge of the office of Judge of the High Court of Chhattisgarh on 08th January, 2018 in the forenoon.

By order of Hon'ble the Chirf Justice,
GAUTAM CHOURDIYA, Registrar General.